



PROGRESS REPORT –CASA

PROJECT NO. & TITLE:-

20110360G/KED EK 46/2011/16, Integrated Development Activities T Empower Poor And Marginalized Communit In Chhatarpur Distict,(M.P.)

E-mail- Pradeep_abhar@yahoo.co.in, Abharmahil23@gmail.co.in

Website- www.amschhatarpur.org

Contact- 07682 242315, 9424344088

Abhar Mahila Samiti Chhatarpur

Peptec City Deri Road H.No. 162 MIG Chhatarpur M.P. 471001

1 OCTOBER 2015 TO 31 DECEMBER 2015

Abhar Tem

The contents of Progress Report

1. INTRODUCTION

A. Organisation-

आभार महिला समिति छतरपुर म0प्र0 एक स्वयं सेवी संस्था है जिसका कार्य क्षेत्र सम्पुण भारत वर्ष है जो वर्तमान में छतरपुर जिले में स्वयं सेवी संस्था के रूप में कार्य कर रही है। जिसकी बुनियाद 18/07/2000 को समाजिक कार्यकर्ता आशा देवी खरे व कुछ साथियों द्वारा की गई उस समय संस्था एक गैर पंजिकृत संस्था के रूप में काम कर रही थी उसके बाद लोग की सोच में बदलाव आया और 17 जुलाई 2003 को आभार महिला समिति छतरपुर फार्म सोसायटी सागर से पंजियन कराया गया। संस्था मुख्य रूप से ऐसे वर्ग समुदाय के लिए कार्य करती है जो समाज की मुख्य धारा से वंचित है या जिन्हें प्यासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा जिसमें शिक्षा /स्वास्थ्य/ महिला सशक्तिकरण,/ बाल अधिकार, आजीविका/जैविक कृषि पर्यावरण व जल संरक्षण जैसे विषय संस्था की मुख्य विचार धारा के विषय हैं। जिसमें संस्था जिले के चार ब्लॉक में कार्य कर रही है।

समाज के ऐसे वर्ग समुदाय जो किसी न किसी कारण से आज वंचित हैं ऐसे वर्ग समुदाय को जागरूक व संगठित कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना ताकि वह अपने अधिकारों को जान सकें और अपने अधिकारों की लड़ाई स्वयं लड़ सकें ताकि वह समाज में आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर समाज का हिस्सा बन कर जीवन यापन कर सकें।

आभार महिला समिति द्वारा कासा भोपाल के सहयोग से ब्लॉक छतरपुर में गरीब एवं अल्पसंख्यक समुदाय के सशक्तिकरण हेतु समेकित विकास गतिविधियाँ कार्यक्रम का संचालन नम्बर 2009 से किया जा रहा है। जिसमें अ0 जा0, अ0 जन0 जाति, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के विकास हेतु महिला सशक्तिकरण, आजीविका, ग्राम सरकार में महिलाओं की संघन भागेदारी, के साथ ग्राम स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध कराना, व स्थानीय संस्थाएँ मजबूती से कार्य करें जैसे उद्देश्य को लेकर कार्य किया जा रहा है।

कासा परियोजना के सहयोग से आभार महिला समिति द्वारा छतरपुर ब्लॉक की 15 पंचायतों के 17 ग्रामों ग्राम (खैरो, जैतपुरा, बगा, रनगुवा कदवा, परापट्टी, पिपैराकला खुर्द, बरद्धाहा, गोची, पिपौरकला, पनोठा, बसाटा, अतरार, हिम्मतपुरा, मानपुरा, कुरी, बूँदौर) में कार्य कर रही है।

B. GENERAL INFORMATION

1.1	Name of organisation:	Abhar Mahila Samiti Chhatpur M.P.
1.2	Physical Address:	Peptec City Deri Road H.No. MIG 162 Chhatapur M.P Pin 471001
1.3	Postal Address:	Peptec City Deri Road H.No. MIG 162 Chhatapur M.P Pin 471001
1.4	Telephone:	07682-242315, 9424344088, 9407005729
1.5	Contact Person (With cell phone no.):	Pradeep Khare, 9424344088 Prabhati Khare 9407005729
1.6	Fax:-	-
1.7	E-mail:-	Pradeep_abhar@yahoo.co.in , abharmahila23@gmail.com

		Abharchhatarpur@yahoo.com
1.8	Website:	www.amschhatarpur.org
1.9	Project Title:	Integrated Development Activities To Empower Poor And Marginalized Community In Chhatarpur Distict,(M.P.)
1.10	Project Number:	20110360G/KED EK 46/2011/16.
1.11	Project Period:	2012-2015
1.12	Reporting Period:	October 2013 March 2014
1.13	Date of the Report:	31/12/15
1.14	Author of the Report:	Prabhati Khare

B. Project area details-

Operational Area/Geographical location -कार्यक्षेत्र जिला छतरपुर के अन्तर्गत आता है जिसकी भौगोलिक स्थिति की बात करे तो ग्राम की कुल दूरी 55 किलो मी० है। बुन्देलखण्ड में बारिष पर्याप्त न होने के कारण जल स्रोतो में इतना पानी नहीं है कि किसान साल भर आसानी से कृषि कर सके। लेकिन इस बार एक बार की फसल के लिए लोगो के पास पर्याप्त पानी है। कार्यक्षेत्र के 06 ग्रामों में छोटी-छोटी पहाड़ी और जंगल है। ग्रामो में मुख्य रूप से चिकनी व काली मिट्टी तथा लाल मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। कार्यक्षेत्र का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी व पथरीला है।

कार्यक्षेत्र में अगर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और पर्यावरण की स्थिति की बात करे तो आज भी ग्रामों पुरानी रूढ़िवादी परम्पराओं से घिरा हुआ है। समाज में आज भी बहुत सारी कुरुरीतियां व्याप्त है जिनमें दहेज प्रथा, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, सामाजिक लिंग भेद पर्दा प्रथा प्रमुख रूप से दिखई देती है।

ग्रामो के लोगो की आर्थिक स्थिति को देखे तो ग्रामो में मुख्यता: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और पिछडा वर्ग समुदाय के परिवारो की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब व दयनीय है क्योंकि ग्रामो में लोगो के पास अजीविका चलाने के लिए पर्याप्त सनंसाधन नहीं है। सूखा पडने के साथ साथ लोगो के पास सिंचित जमीन /खेती नहीं है कुछ परिवारो के पास जमीन नहीं है। जमीन है तो सिचाई के लिए पर्याप्त सनंसाधन नहीं है पानी नहीं है। जबकी लोगो का मुख्य व्यवसाय खेती है जिससे लोग की आजिविका चलती है।

- Outreach details of the project areas

S.N	Village	Target HHs	Target Male	Target Female	Nrega Job carders	BPL	PDS	Single women	Disable persons
1	जैतपुरा	28	104	64	12	28	28	01	6
2	बरद्धाहा	145	262	275	35	88	20	03	3
3	हिम्मतपुरा	55	142	112	17	40	18	01	8
4	पिपरौकला	92	108	128	20	66	35	-	3
5	कुरा	86	116	94	15	70	40	01	6
6	गोची	45	84	96	15	25	38	02	7

7	अंतरार	40	102	98	20	33	20	02	3
8	पनौठा	68	109	119	11	40	45	01	3
9	बसाटा	40	66	99	21	28	21	03	
10	रनगुवा	111	168	102	18	68	22	02	8
11	कदंवा	84	164	2176	21	56	12	01	4
12	पिपरौकलाखुर्द	260	615	722	12	68	58	01	2
13	परापट्टी	39	105	82	12	44	25	01	4
14	बुदोर	48	98	135	10	33	38	-	3
15	खेरो	75	220	128	10	52	12	-	5
16	मानपुरा	59	64	121	08	30	28	-	2
17	बगा	45	27	15	11	45	15	01	-
कुल योग-		1320	2554	4566	268	814	475	20	67

- Context: Underlying problem analysis of the project-

पिछले 5 वर्ष से सूखा की मार झेल रहा बुनदलेखण्ड की इस वार तो किसानों की कमर तोड़ दी। किसान कर रहे आत्मा हत्या रोटी रोटी के लिए है मोहताज बेरोजगारी कर्ज विजली का बिल ने किसान को वना दिया अपंग आय का नहीं कोई साधन लोग कर रहे दिप प्रति दिन पलायन पशुओं को नहीं है पीने व खाने के लिए चारा जहा पर हजारों किसान लाखों पशुओं का होता था वसेरा आज वहा पर सेकड़ों में रह गये लोग। सरकारी योजनाओं का कागज में ही है नाम रोजगार गारंटी या अन्य योजनाएं नाम का सहारा।

राजनैतिक स्थिति को देखे तो ग्रामों में आज भी सामांताशाही और पितृसत्तात्मक व्यवस्था व्याप्त है। शासन द्वारा महिलाओं को तो पुरुषों के समान अधिकार दिये गये हैं लेकिन ग्रामों में लोग महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं देते हैं। ग्रामों में आज भी महिलाओं को परिवार में अधिकार नहीं है कि वह कोई निर्णय ले सके या अपनी ईच्छा से वह कुछ कार्य कर सके कही आ जा सके वही पर्दाप्रथा, जैसी समाजिक बुराई विद्वान है। अगर हम राजनीतिक स्थिति की बात करें तो महिलाएं सरपंच, उपसरपंच जनप्रतिनिधी तो बन गई हैं पर उनको मालूम तक नहीं है कि वह क्या है और पंचायत क्या होती है कोन सी योजना चल रही है या ग्राम सभा क्या होती है। क्योंकि उनका पुरा काम उनके पति या पुत्र कर रहे या गावों के दमंग व्यक्ति पंचायत चला रहे हैं।

कार्य प्रारम्भ होने पर स्थिति की बात करें तो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, परिवर्तन, समाज में समुदाय के लोगों में अपने स्वास्थ्य एवं शासकीय योजनाओं पर लोगों की समझ विकसित हुई है। महिला अधिनियम 2005 के बारे में महिलाओं की समझ स्पष्ट हुई शासकीय योजनाओं पर लोगों की समझ स्पष्ट हुई लोग स्वयं काम की मांग करने लगे लोगों की सामाजिक/आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बीज बैंक की स्थापना की जा रही है। किचिन गार्डन लगाये जिससे कि लोगों की जिन्दगी में बदलाव आ रहा है वही समूह/फेडरेशन के माध्यम से लोग अपना पैसा लेकर कार्य कर रहे हैं जिससे बाहर कर्ज व ब्याज से लोगों को राहत मिल रही रही है। लोगों को बीज ग्राम स्तर पर ही मिल सके इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। वही ग्राम सरकार की महिला जन प्रतिनिधीयों का मनोबल बढ़ा जिससे महिला सरपंच उपसरपंच, पंच घर से बाहर जनपद/जिला पंचायत तक आ जा रही है सरकारी कमचारियों से अपनी समस्याओं को खुल कर रख रही।

Changes within the Organisation during the reporting period -Change of Management Structure: YES/NO. - If yes, please describe [Yes]

1- परियोजना के साथ जुड़कर काम करने से संस्थागत स्तर पर बहुत से बदलाव हुए हैं। जैसे government body strong हुई है। रिपोर्ट सिस्टम में सुधार हुआ।

2- संस्थागत स्तर पर लेखा सम्बन्धित सुधार एवं बहुत से नये नियमों को जानने का मौका मिला है।

3- संस्थागत स्तर पर च्वसपबलए ळमदकमत च्वसपबलए थगमक ामजे च्वसपबल तैयार की गई साथ ही उनको लागू किया गया।

-Change in Planning System: YES/NO. If yes, please describe [Yes]

1- संस्थागत स्तर पर च्वसदपदहैलेजमत में सुधार हुआ है ग्राम स्तर पर लोगों की आवश्यकता और उनकी भागीदारी भी नजर आई मिल कर होता है काम।

2- संस्थागत स्तर पर कार्ययोजना के अनुसार काम करना शुरू हो गया है।

- Change in Staffing Pattern: YES/NO. If yes, please describe [Yes]

1- संस्थागत स्तर पर पदाधिकारियों का परियोजना के साथ काम करने से उनका क्षमता बर्धन हुआ है। साथ परियोजना के साथ मिलकर काम करने से अलग-अलग पहलूओं को जानने का मौका मिला है जिससे कार्यकर्ताओं की विषय के प्रति समझ विकसित हुआ है। जिसके परिणाम स्वरूप कार्यों को और बेहतर तरीके से किया जा रहा है।

- Change in other issues related to organization: YES/NO. If yes, please describe [YES]

1- Account System में सुधार हुआ है। 2-Reporting System में सुधार हुआ है।

3- Planing System में सुधार हुआ है साथ 4- लोगों ने भी कार्ययोजना में अपनी सहभागिता और सही कार्ययोजना तैयार करने की तरीकों के बारे में जाना।

2. OUTCOME AND IMPACT

2.1. Which is the agreed upon objective of the project and its indicators:

Project Objective:

Empower the tribals Dalits/Marginalized and Women to increase uptake and access to rights and entitlements for livelihood and food security through collective action, advocacy and networking.

Outcome indicator:-

- 25 % increase in crop production of farmers and income of ST/SC and vulnerable groups.
- 60% women trained from CBOs/ Pos to claim right
- 75% increase in accessing 100 day employment by target group from MNREGA
- 75 % BPL families access food entitlements and others supports in time as per norms
- 60% increase in representation from ST/SC/ Women in PRI and other local institutions

2.2 To what extent could the project objective be achieved? Please report by using the agreed upon indicators. Please, refer to indicators differentiated by sex or with a gender dimension, too. Indicator 1: SC/ST/Vulnerable families report about 25% increase in income

Agreed upon (Income)		Previously reported		During period		Total to date	
ST/SC/VL	25 % in-	ST- 82	ST- 75550	ST – 4	ST- 25300	ST- 90	ST- 90250

	crease	SC – 90	SC- 82200	SC - 1	SC- 3900	SC - 83	SC- 70500
Total -		T – 172	157700	T- 5	T- 29200	T-17 3	T-160750

Narrative: (writes 3 lines of during period)

इसके अन्तर्गत 21 लोगो को परियोजना के हस्ताक्षर से उनकी मासिक आय अतिरिक्त आय वृद्धि हुई है। जिसमे लोगो द्वारा हाट बजार मे दकाने लगाई गई स्वयं संचालित रोजागर आदि।

Indicator 2: 75% increase in eligible households among the target groups accessing 100 days of employment under NREGA

Agreed upon (NREGA)		Previously reported		During period		Total to date	
76% HH	6-15 Days	579	7-8 Days	24	7-8 Days	603	7-8 Days

Narrative: (writes 3 lines of during period)

मनरेगा के अन्तर्गत 188 परिवारो ने काम के लिए आवेदन किये थे। जिनमे से 155 परिवारो को मनरेगा का काम मिला। जिनमे कुल 1860 दिन कार्य किया गया जिसका 323640 रुपये की मजदुरी प्राप्त हुई।

Indicator 3: 75% Gram Sabha have developed micro plan/ village plan with participation of the target group.

Agreed upon (micro plan)		Previously reported		During period		Total to date	
75 % GS-microplan	Participation M/F	21 GS micro plan	367 M/- 182 F/- =T- 549	11 GS Micro Plan	172M/- 111 F = T - 288	25 GS Micro Plan	532 M/- 305 F/- T- 837/-

Narrative: (writes 3 lines of during period)

ग्राम विकास मे जन समुदाय के संघन भागेदारी के उद्देश्य से ग्राम परापटी बगा बरद्धहा, पिपैराकला, कुरा, अतरार, बसाटा, रनगुवा, कदवा, पिपैराखुर्द मे माईक्रो प्लान तैयार किया गया। जिसमे 21 काम (6 हैण्डपम्प सुधराये, 5 आर0 सी0 रोड, मेड बंधन 5 निर्माण, 03 कपिलधारा कुआ, 2 शौचालय निर्माण, 310 आगनवाडी केन्द्र निर्माण कार्य 1

Indicator 4: 60% representation increase of women and members of marginalised communities in PRI and other local institutions:-

Agreed upon (local institution)		Previously reported	During period	Total to date
PRI, Other	60 % Participation M/F			
ग्राम पंचायत	-	M- 60 F- 45 T- 105	M- 150 F-120 T- 270	M-210 F-165 T- 375
ग्राम निगरानी समिति	-	M- 135 F- 75 T- 210	M- 225 F- 150 T-375	M- 360 F-225 T- 585
ग्राम स्वास्थ्य एवं तदर्थ समिति	-	M- 75 F- 30 T- 105	M- 90 F- 45 T- 135	M- 165 F-75 T- 240
आगनवाडी	-	M- 0 F- 375 T- 375	M- 0 F- 450 T- 450	M- 0 F- 900 T- 900
आशा	-	M- 150 F- 230 T- 380	M- 225 F- 255 T- 480	M- 375 F- 485 T- 860

Narrative: (writes 3 lines)

ग्राम स्तर पर स्थानीय संस्थाओ और पंचायत अधिकारीयो का पूरा सहयोग मिलता है साथ ही प्रत्येक कार्यक्रम मे भी अपना लोगो की पूर्ण भागेदारी होती है जिसमें आषा आगनवाडी कार्यकता समिति सदस्य पंचायत सदस्य स्थानीय लोग के माध्यम से कार्यक्रमो का संचालन किया जाता है।

2.3 What other observations did you make? Please mention anything that may benlightening for

the progress of the project. Provide case stories if any in the annexure

1. ग्राम स्तर पर गठित समूह एवं मण्डल गठित होने से और भी दूसरे लोग परियोजना के जुड़कर काम करने के लिए आगे आये हैं।
2. संस्थागत प्रयास से माईक्रोप्लान के माध्यम से ग्राम स्तर पर जो काम कराये गये उससे लोगो के साथ मिलकर काम करने अच्छे से और ज्यादा काम करने का आत्म विष्वास बढ़ा है।
3. लक्ष्य समुदाय के लोगो को शासकीय योजनओ के बारे में जानकारी हुई है जिससे अब लोग योजना अन्तर्गत जुड़ने के लिए स्वयं आगे आकर आपने आवेदन प्रक्रिया में भागेदारी लेने लगे हैं।
4. जेण्डर और समानता को लेकर लगातार प्रयास करने से इस बार परियोजनाओ में महिला भागेदारी पहले की अपेक्षा इस बार से बढ़ने लगी है।
5. परियोजना द्वारा नये मुद्दो पर काम करने से संस्था पदाधिकारीयो को भी समझ बनी है और नये मुद्दो को लेकर काम करने का मैका मिला है।

2.4 In case that you observed any direct negative outcome, please describe.

परियोजना अन्तर्गत अधिकार आधारित काम करने से सरपंच और सचिवो के बीच एक नकारात्मक सोच भी आई है। अभी मनरेगा श्रम बजट तैयार होने एवं सरपंच सचिव को बैठक में बुलाने से बहुत सी विवादित बातें निकलकर आई साथ ही बहुत सी पंचायतो में सरपंचो द्वारा पंचायत का डाटा न देने पर आर.टी.आई एवं प्रशासनिक तोर पर कार्यवाही करने से जन प्रति. निधियो की सोच लोगो के प्रति नकारात्मक हो रही है।

2.5 Could any impact (positive or negative) be observed in the wider context of the project that might be related to the project interventions? Do those observed facts contribute to achieving the development goal?

2.6 Which methods did you use for assessing outcome and impact?

- 1—सर्वे— इसमें परियोजना अन्तर्गत किये गये कार्यो के प्रभावो को लेकर एक प्रपत्र तैयार किया गया। प्रपत्र के माध्यम से 10 ग्रामो में लक्ष्य समुदाय जिनके साथ काम किया जा रहा है उनका सर्वे किया गया।
- 2—फोलोअप मीटिंग—ग्राम स्तर पर किये जाने वाले ऐसे कार्य जो लोगो से सीधे रूप से जुड़े हुए हैं या फिर वे लाभार्थी जिन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया है उन लोगो का लगातार फोलोअप के माध्यम से परियोजना के प्रभावो को जानने का प्रयास किया गया।
- 3— मीटिंग—ग्राम स्तर पर लगातार मीटिंगो और सम्पर्क के माध्यम से दी गई जानकारीयो का उपयोग एवं उनके व्यक्तिगत जीवन में उपयोग से भी परियोजना के प्रभाव एवं संचालन के बारे में जानकारी ली गई।

S.N.	Activity	Planned			Achieved		
		Output	Expected Impact	Financial Outlay	Output	Impact	Actual expense
1	LIVELY HOOD AND FOOD SECURITY INITIATIVES						
1.1	Coordination meeting of vegetable cultivation Beneficiary	03 Meeting 30 farmers (10M,20F) 03 village CONTEPNT 1- To discuss on importance use of vegetable	10 families will do better farm management. 10 families will generate additional income.	2313	11 महिला 24 पुरुषों कुल 35 लोगों ने सहभागिता की। लोगों द्वारा लगाये गये पौधों व सब्जियों के बारे में पूछा गया	14 परिवारों ने माना की वर्षा न हाने के कारण सुखा गया सब कुछ लोगों को पीने के लिए नहीं है पानी। सुखा पड़ने से लोग दाने दाने को परेषान रोगजार व रोटी के लिए मांग रहे मदद।	2310
1.2	Follows up visit to the NEDEP pits	10 meeting 60 farmers (30M, 30F) 10 village CONCEP 1-To discuss on importance and use to NEDEEP 2- To take care of NADEEP responsibility. 3- To give the information of personal NADEEP and its maintenance.	10 Farmers shall use organic compost. Increase the knowledge of 30 farmers.	-	55 किसानों ने नाडेप के महत्व एवं उपयोगिता को जाना साथ ही बनाये गये नाडेप को देखकर अपने खेतों में व्यक्तिगत नाडेप निर्माण के लिए स्वीकृति दी। जैविक खाद के बारे में जाना जैविक खाद का उपयोग व महत्व को समझ सके।	10 किसानों ने आधा एकड़ जमीन पर जैविक खाद का उपयोग कर रहे हैं। 02 किसानों ने अपने खेतों पर व्यक्तिगत नाडेप बना कर जैविक कुर्षी लिए खाद तैयार करने का कार्य चालू कर दिया है।	-
1.3	Coordination Meeting Of Seed Banks Beneficiary	3 Meeting 60 SHG & CBO Members 3 villages -Status of seed banks. 2-Discuss Maintenance. 3-The discussion of seed Bank Committee member. 4 Discuss a collection of seed. 5- Discuss on seeds. 6-Seed bank operations to decide rules. 7- Next planning	मिटिंग का आयोजन किया गया जिसमें 45 प्रतिभागियों ने सहभागिता की और बीज बैंक की स्थिति को जाना।		3 मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें बीज बैंक की समस्या तथा सूखा के कारण लोगों के जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ा पर चर्चा की गई।	45 महिलाओं ने सूखा से हुये नुकसान व बीज बैंक द्वारा लोगों को दीये गये राह पर चर्चा की वही आने वाले समय पर पुनः बीज बैंक एकत्र किया जाये और समितियों को विस्तार दिया जाये पर जोर दिया गया।	
1.4	Workshop on land bill	1 शकार्यशाला 50 प्रतिभागी 20 महिला 30 पुरुष 3 ग्राम बगा, जैतपुरा, कुरी	लोगों को मुआवजा व विस्थापन की वास्तविक स्थिति से अवगत करना।	18000	70 महिला/पुरुषों को मुआवजा की स्थिति से अवगत कराया लोगों से वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया और बंचित लोगों को मुआवजा मिल सके	22 महिला 68 पुरुषों ने कार्यक्रम में सहभागिता की जिसमें 25 लोगों को मुआवजा मिले इसके लिए कार्य किया गया व जिला कलेक्टर को आवेदन दिया गया।	15683

					इसके लिए रणनीति तय की गई।		
--	--	--	--	--	---------------------------	--	--

4-PLANNED AND ACHIEVED RESULTS

2 Perspective Building and Institutional Strengthening							
2.1	Operational Meeting of federation / pos	02 10M) Meeting will be held 20 Participants are the parts of federation .(10F Partipants of village -1 Kadwa CONTENT 1- To discuss the importance and need of the federation . 3- Next Planning of working	Federation Will meet the NRGGA /PDS-supervisor Block and Dist 50 Job Card Holder	-	फेडरेशन को को और अधिक सशक्त किया जाये व महिलाओं की भागेदारी बढे इसके लिए जोर दिया गया। महिलाएं भी संगठन में आगे आये व नेतृत्व की भुमिका निभा सके इस पर जोर दिया गया।	2 ग्रामो में महिलाओं की संख्या बढी है। जिसमें 40 महिलाओं की एक कमेटी का गठन किया गया महिला लिडर को और सशक्त किया गया जिसमें महिलाओं की क्षमता वर्धन किया गया।	-
2.3	NREGA Group Promotion Meeting	3meeting 60 participants 3 village M 30 F 30 <u>Content of discussion</u> 1- To discuss under NREGA about Job demand, Facilities for workers, Wage. 2- To discuss saving of NREGA group. Fill up form for job demand and wage.	60 Workers include in planning job demand. 20 workers got wages	13895	03 ग्राम 03 मीटिंग का आयोजन किया गया। नरेगा गुप को संगठित किया गया साथ ही 03 नये नरेगा समूहों का गठन किया गया।	3 नये नरेगा समूहों का गठन किया गया जिसमें 45 लोग शामिल है मरनेगा समूहों को फेडरेशन से जोडा गया 36 लोगो को काम दिलाया गया।	13890
3 Collective Action & Advocacy							
3.1	Collective action through BBAM Regional Network	1 workshop 20 participants M 15 F 5 3 dist. - Discuss the organization of the network. - Post election officers. -Preparation of concrete strategy.	1 मितिग 20 सहभागी फेडरेशन व लिडर की भुमिका का चयन। स्थानीय स्वयं सेवी संस्थाओं की भुमिका	12500	1 मितिग का आयोजन किया गया जिसमें 4 महिला व 16 पुरुषों ने शामिल हुये सीनीय स्वयं सेवी संस्थाओं की भुमिका तक की गई। व एकता विकास मंच लिडर की भुमिका तय की गई	1 मितिग का आयोजन किया गया जिसमें 4 महिला व 16 पुरुषों ने शामिल हुये स्वयं सेवी संस्थाओं की भुमिका तक की गई। व एकता विकास मंच लिडर की भुमिका तय की गई	12500
3.2	Dialogue With Media on policy - MNREGS, RTI, FRA, PDS	1 meeting 30 participants 15 village M15 F 15 <u>Gov. Schemes.</u> - Application -Process.. -Evaluation process.	1 मितिग का आयोजन किया गया जिसमें 22 लोगो की सहभागिता रही।	2000	एकता विकास मंच लिडर व स्थानीय लोगो ने अपनी ग्रामीण स्तर की समस्याओं प्रषासन के सामने रखा जिसमें कुल 22 लोगो शामिल हुये।	कुल 22 लोगो की सहभागिता रही जिसमें 8 महिला 14 पुरुष लिडर ने अपनी समस्याओं को मिडिया के सामने रखा जिसमें सुखा राहत में हुई गडबडियों की बात कही राषन व्यवस्था में हो रही समस्याओं के अल. वासुखा राहत में गडबडी की बात ही व मिडिया ने उन मुद्दों को प्रषासन के सामने लाने की बात कही।	1950
3.3	Campaign on social audit process	1 Campaign 100 participants 15 village CONTENT- Understand the role & responsibilities of Ration distributor and Villagers.	15 पंचायतो में जागरुकता अभियान चलाया गया जिसमें कुल जिसमें लोगो समाजिक अकेशक्ष के वारे में बताया गया।	10000	01 कार्यक्रम 210 प्रतिभागी 15 पंचायतो में चलाया गया। जिसमें समाजिक अकेशक्ष के महत्व एवं उपयोगिता को बताया गया।	210 लोगो को समाजिक अकेशक्ष के प्रति समझ विकसित हुई साथ ही लोगो ने आगामी समय में होने वाले समाजिक अकेशक्ष में भागेदारी करने की बात कही व लोग शामिल हुये।	10010

3.4	Coordination meeting with government agencies on Programme/ Schemes	1 meetings 30 participants 17 villages M 10 F 20 CONTENT 1- To discuss in Agriculture, Horticulture schemes. To discuss the problem of villagers and consult process of linkage schemes	1 मितिग का आयोजन किया गया जिसमें ऐता विकास मंच के अलवा ग्राम के अन्य लोगो की सहभागिता रही।	500	ब्लाक के जिम्मेदार अधिकारीयो को ग्राम स्तर पर किये जा रहे कार्यो के बारे मे बताया साथ ही सुखा राहत मे किस तरह से सहयोग मिल सकता है पर चर्चा की गई।	1- ग्राम की समस्याओ को प्रषासन के सामने रखा गया। 2- कियानो को बीज सोसायटी रहजस्टेशन पर चर्चा की गई। किये गये।	500
3.5	Coordination planning & Review Meeting of local CSO Network	2 meeting 60 participants 17 village M 15 15 F CONTENT 1- To discuss the problems of PDS and Food security. 2- To discuss how to be solved. Next planning.	2 मितिग का आयोजन किया गया जिसमे लोगो ने अपनी वात को रखा और लोगो ने अपनी जिम्मेदारी तय करने की वात कही।	9906	ग्राम स्तर पर तय मददो पर आगामी रणनीति तैयार की गई।	1- उकता विकास मंच मे लोगो की भागेदारी गढी 2- राषन व्यवस्था मे सुधार हुआ 3- सुखा राहत का वितण हो सका।	9906
3.6	Facilitation of job demand application NREGA (NB)	3 meeting 200 participants 17 village M 10 0 F 100 CONTENT 1- To discuss the importance and needs of group. To discuss how to work and how to linkage schemes.	15 ग्रामो मे मनरेगा को लेकर मितिग का आयोजन किया गया जिसमें लोगो को काम मिले इसके लिए जोर दिया गया।	-	135 मीटिंग का आयोजन किया गया। मनरेगा समूह को काम मिले इसके लिए आवेदन कराये गये जिसमें 55 परिवारो को काम मिला।	55 परिवारो को ओषतन 10 से 15 दिन का काम मिला। मनरेगा समूह और सषक्त हुये वही लोगो को और अधिक काम मिले इसके लिए रणनीती तय की गई।	-
3.7	Public Hearing on Gov.	1 meeting 50 participants 17 village M 25 F25 Content of discuss- PDS/ Social Security Schemes NREGA/sukha	1 मितिग 47 लोगो की सहभागिता प्रषासन को आवेदन दिये गये। लोगो ने कलेक्टर से वात की।	4000	ग्राम बगा के 47 लोगो ने जिला कलेक्टर से सुखा राहत का पैसान नही मिलने की शिकायत की। योजनाओ के सही कियान्वयन पर चर्चा कर शिकायत दर्ज कराई प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द हल कराने का अश्वा. सन दिया गया।	ग्राम के 52 परिवारो को मुआवजा मिला राशन व्यवस्था मे सुधार हुआ गया है। प्रति परिवार 2 से 3 लाख रुपये दिया गया।	4050
3.8	Federation/CBOs Conveyantion	1 workshop 100 participants 17 illage M 50 F 50 18 Content of discuss 1-Discuss the importance and need of the Federa-tion. 2-To discuss the purpose of Federation. 3-Selection of the works whose doing through fed-eration . 4- Next Planning of work-ing nAnd cbo"s	1 कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमे 80 लोगो की सहभागिता रही	10527	बुन्देलखण्ड एकता विकास मंच के सभी सदस्यो की भुमिका तक की गई लोगो को मंच की वाषिक गतिविधकयो के अवगत कराया गया।	80 लोगो ने सहभागिता की जिसमें 39 महिला व 41 पुरुष षामिल हुये। 5 मुद्दो को चिहन्त कर कार्य करने पर सहमति वनी नई कार्यकारणी का गठन किया गया।	10500

3.9	Staff Training and Exposer	—1 भ्रमण — 2 दिवसीय — 6 सदस्य Content : 6 कार्यकर्ताओं की क्षमता वृद्धि होगी।— नये अनुभवों पर समझ बनेगी।	1 कार्यक्रम का आयोजन भोपल में किया गया जिसमें संस्था कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की।	25000	संस्था द्वारा 5 लोगो की सहभागिता रही जिसमें कार्यक्रम में लोगोका क्षमता बंधन हुआ।	आगमी समय संचालित होने वाले कार्य में उनकी समझ वनी और कार्य षेली में सुधार हुआ।	29524
4	<u>Gender mainstreaming</u>						
4.1	Tracking of PDS and MDM and 0 to 6 year children [New Activity] [NB]	6 meeting 100 participants 6 villages M 50 F 50 Content of discuss- 1- To give the information of PDS / MDM Rules Process, 2- Data Collection. 3- To take the information irregularity	6 ग्रामो में मिटिंग का आयोजन किया गया। जिसमें 3हायसेकडरी / मिडिल स्कुलो का चिह्नित कर कार्य किया गया।	-	06 मीटिंग का आयोजन किया गया। जिसमें मध्यान्ह भोजन की वास्तविक स्थिति का पता लगाया गया।	248 बच्चो से मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था पर चर्चा की गई जिसमें व्यवस्था में सुधार की बात कही	-
42.	Training of Women leadership building	1 Meetings 25 participants 5 villages M 10 F 15	1 मिटिंग का आयोजन किया गया जिसमें महिलाओ ने अपने अधिकारो की लडाई लडने के लिए संगठित होकर कार्य करने पर जोर दिया।	4000	लक्ष्य समुदाय की महिलाओ को अपने अधिकारो के प्रति जिम्मेदार करने का प्रयास किया गया। महिला नितियो के तहत कार्य करने और अपने अधिकारो का हनन न होने के लिए संगठित होकर कार्य करने पर चर्चा की गई। महिला आरक्षण अगर मिला है तो पुरा हक मिले व पत प्रतिषत भागेदारी तय करने पर जोर दिया गया।	35 महिला समूह सदस्यो को महिला कानून की समझ वनी साथ ही महिलाओ ने अपने अधिकारो के लिए कदम उठाना प्रारम्भ कर दिया है।	3845
4.3	Workshop on NRHM and its provision on access to health	1workshop 70 participants 17 village M 35 F 35 CONTENT- 1- To give the Information of NRHM provision and Facility. 2- Janani Suraksha Yojana. 3- Malnutrition. 4- A.N.C./P.N.C. 5- Importance of Asha and his work.	1 मिटिंग का आयोजन किया गया जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रम पर चर्चा की गई।	5000	लक्ष्य समुदाय को एन0आर0एच0एम0 के बारे में जानकारी मिली और समझ विकसित हुई।	55 लोगो की सहभागिता रही जिसमें 26 महिला व 29 पुरुष कौन कौन सी स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही के बारे में समझ वनी। नये खादय सुरखा मे म.ि हलओ को कौन कौन सी सुविधा दी जा रही है पर जानकारी दी गई विषेय टीकाकरण अभियान मे जुड कर लोगो को लाभ दिलाये व बच्चो को टीकाकरण हो सके इसके लिए पुर्ण कोषिस करे पर जोर दिया गया।	5000
4.4	Block level Women Convection	1 campaign 100 participants 17 village	वर्षिक महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें जिला महिलाओ ने अपने अपने विचार रखे और लोगो को समानता लाने पर जोर दिया गया।	13179	महिलाओ ने अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस के महत्व और अपने अधिकारो के बारे में जाना। महिलाओ की संगठन के साथ जुडकर कार्य करने को लेकर समझ बनी।	76 ग्रामीण महिलाओ ने अपने अधिकारो के बारे में जाना महिलाओ की संगठन के प्रति सोच में बदल.ाव आया। महिलाओ ने इस अवसर पर अपने अनू.ाव बताये व भोपाल के कार्यक्रम की चर्चा की। सुखा की मार से ग्रस्त समस्याओ को गम्भीरता से लोगो के सामने ज[kkA	13199.75

4.5	Legal aid camp on Domestic violence	1 Camps 75 participants 17 village M 25 F 50 CONTENT 1- To discuss rules and laws of domestic violence. 2- To give information of domestic violence through poster and pump let. 3- To discuss woman security bill.	मिटिंग के माध्यम से महिलाओं ने जाने कानून व अपने अधिकार	7000	संगठन की महिलाओं ने घरेलू हिंसा अधिनियम (2005) और सामाजिक लिंगभेद के प्रति समझ स्पष्ट हुई। बुनदेल खण्ड एकता विकास मंच के वारे मे विस्तार से जाना बारे मे जानकारी ।	लक्ष्य समूह की 65 मि. हला सदस्यों ने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और महिला नीतियों के वारे में जाना। —महिलाओं ने खादय सुरक्षा कानून 2013 मे अपनी भूमिका तय की साथ ही योजना को समझा। साथ ही संगठित होकर अपने अधिकारों के अलावा बड़े मुद्दों को लेकर जिला व ब्लॉक स्तर पर प्रशासन के सामने रखी अपनी बात।	6879
4.6	women violence mitigation Campaign	—1 कार्यशाला —100 महिलायें — 15 गांव Content :—महिलाओं की कानून के प्रति समझ बनेगी। विभिन्न शासकीय योजनाओं से महिलायें लाभान्वित होंगी।	1 मिटिंग का आयोजन किया गया दिनांक 26/12/2016 को किया गया ।	20000	75 लोगों ने सहभागिता की जिसमें महिलाओं को कुपोषण व टीकाकरण तथा खादय सुरक्षा योजनाओं के वारे मे बताया गया ।	38 महिला 36 पुरुषों ने कार्यक्रम मे सहभागिता की और खादय सुरक्षा कानून के तहत दी जाने वाली सुविधाओं को जाना वही कुपोषण पर महिला की समझ विकसित हुई	20000
5 Study Research Documentation and Publication							
5.1	Study on impact of PDS on food security	1 Study 150 sample size 15 Village	ग्राम मे योजना की वास्तविक स्थिति का आकलन करना	7029	465 परिवारों से सीधी जुड़ कर की योजना की बात ।	165 परिवारों मे 575 लोगों से सीधी चर्चा की गई योजना का आकलन किया गया। खादय सुरक्षा कानून 2013 की नहीं है लोगों को जानकारी । पत्र लोगों को नहीं मिल पा रही पर्चा ।	7000.00

5. OWN MEANS LOCAL CONTRIBUTION (Give summary of resources mobilized with

संचालित कार्यक्रमों के दौरान ग्रामवासियों ने भी अपना पूरा सहयोग दिया और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से बैठक व्यवस्था, चाय, नास्ता एवं कहीं कहीं भोजन व अन्य व्यवस्थाएं की। जो उस समय आवश्यक थी जिससे कार्यक्रम को सफलता पूर्वक पूरा किया गया और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लोगों ने पूर्ण रूप से सहयोग दिया अगर हम राषी के रूप में देखें तो हम उस व्यवस्था को संस्था द्वारा उपलब्ध कराते तो इतनी **15620** राषी की आवश्यकता पड़ती जो ग्रामवासियों ने अपने सहयोग से उपलब्ध कराई।

CHANGES AND DEVIATION – Justify with reasons

7. CHALLENGES AND LEARNINGS

-What was difficult while working to reach results?

1—बुन्देलखण्ड में काम करने में सबसे बड़ी समस्या ग्रामीणों को सामान्य शाही का होना वही पात्र लोगों को शासकीय एवं अशासकीय योजनाओं का लाभ न मिलना। ग्राम स्तर पर उनकी स्वीकृति के अनुसार नियमों के तहत जन समुदाय के लिए कार्य कराना अपने आप में एक चुनौती है।

- What are the lessons learned ?

1—ग्राम स्तर पर लोगों को जोड़ने के साथ-साथ हमें विभिन्न विभागों एवं उनके नियम प्रवधानों को भी जानने का मौका मिला परियोजना के साथ अलग-अलग स्तर कार्य करने और बहुत से मुद्दों को समझने का अवसर प्राप्त हुआ।

2—इसी तरह अगर संस्थागत स्तर पर देखें तो परियोजना के साथ काम करके दस्तावेजीकरण एवं कार्ययोजना तैयार कर रणनीति के अनुसार काम करना सीखा। साथ ही संस्था का दस्तावेजीकरण व विनियम भी मजबूत हुआ।

- Stories of change (NO.5)

ग्रामीण जन को मिलने लगा पानी

ग्राम —वरा

पंचायत —कुरा परिवार कुल परिवार 105 जनसंख्या 420 समस्या —दैनिक जीवन के लिए नहीं मिल पा रहा पानी।



आभार महिला समिति विगत वर्षों से ग्राम पंचायत कुरा में कार्य कर रही है जिसके फल स्वरूप ग्राम से जुड़े अन्य छोटे छोटे मझले पुरवा में भी कार्य का प्रभाव देखा जाता है और लोगों ने बताया कि ग्राम में लोगों को दैनिक जीवन के उपयोग के लिए पानी की समस्या है क्योंकि इस वार सुखा है और वर्षा नहीं हुई है जिस कारण ग्रामीण जनसमुदाय के साथ पालतू जानवर भी पानी के लिए परेशान है इसके लिए व्यवस्था की जाये। लोगों ने बताया कि ग्राम में एक छोटी सी नदी है जिसमें धीरे धीरे पानी बहता है अगर उस पर कुछ कार्य किया जाये तो लोगों को काफी समस्या हल हो जायेगी।

संस्था के सार्थियों द्वारा इसको लेकर चर्चा कि गई कार्य स्थल को देखा गया और तय किया गया कि जो हमारे ग्राम में किसान मण्डल और नरेगा समूह है उनके सहयोग से नदी पर बोरी बंधान किया जाये और पानी को रोकने का प्रयास किया जाये।

संस्था व ग्राम में गठित समूहों के 36 महिला 45 पुरुष 81 लोगों ने सहयोग किया जिसमें 150 बोरी का नदी पर बंधान कार्य किया गया जिससे आज ग्रामीण लोगों को पर्याप्त पानी उपलब्ध हो रहा है। जिसके लिए संस्था द्वारा सभी परिवारों को कपड़े बेग वितरण किये गये इस अवसर पर ब्लॉक समन्वयक श्री ब्रजेन्द्र जड़िया जी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष दुवे जी के अलावा गाम सरपंच सचिव मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

मुआवजा के लिए महिलाओं ने किया प्रदर्शन

ABHAR CHHATARPUR



ग्राम —बगा /पंचायत—बरद्धाहा कुल परिवार 50 जनसंख्या 120

आभार महिला समिति छतरपुर विगत वर्षों से ग्राम पंचायत बरद्धाहा में कार्य कर रही है जिसमें ग्राम बगा भी आता है ग्राम बगा जो की मूल रूप से आदवासी ग्राम है और यहाँ पर लगभग 100 आदवासी परिवार निवास करते हैं। जहाँ पर संस्था द्वारा नरेगा /किसान समितियों का गठन किया गया है। यहाँ पर शासन द्वारा तडपेड बांध का निर्माण कराया गया जिसके लिए लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। और कुछ परिवारों को विस्थापित कर दिया गया है। जिसमें ग्राम के लोगों की खेती के साथ मकान डूब क्षेत्र में होने के कारण लोगों को हटाया जा रहा है। शासन द्वारा लोगों को कहा गया था कि आपको मकान के बदले मकान दिया जायेगा पर ऐसा नहीं किया गया और और कुछ लोगों को मकान के बदले पट्टा एक एक कमरा बना कर दिया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ भी नहीं मिला जिन्हें मुआवजा दिया जा रहा है वह भी 3000 से 5000 हजार रुपये जवकी विस्थान से पहले बड़े बड़े वादे किये गये थे पर आज शासन वहाँ कर रहा है और अधिकार सुन नहीं रहे। विस्थापन परिवारों के सर्वे में धांधली की गई और आज लोगों को सोने के लिए आसरा नहीं मिल पा रहा ।

जिसके लिए संस्था द्वारा प्रभावित परिवारों के साथ बैठक की गई सर्वे किया गया और वन अधिकार पर कार्यक्रम किया गया और लोगों को अपनी मांग प्रशासन के सामने रखने के लिए प्रेरित किया गया कि हम लोगों जिला कलेक्टर को आवेदन देते हैं कि प्रभावित परिवारों का सर्वे पुनः सर्वे किया जाये और मुआवजा दिलाया जाये। ग्राम के मुन्ना आदिवासी मातादीन भूरा परम भज्जू लल्लू ग्यासी रामप्यारी मोहन आदिवासी को मुआवजा नहीं दिया गया है नहीं इनका सर्वे किया गया है इन परिवारों का सर्वे किया जाये साथ ही उनको मुआवजा के साथ मकान दिलाया जाये को लेकर प्रदर्शन किया गया और सर्वे कराने की मांग शासन द्वारा की गई।

जिसमें सरपंच मीना यादव लल्लू सतोष धनीराम जज्जू रामदास फुलचंद परसू रही आलम भूरा किशोरी हरोगाव्दि प्रीतम मुन्नाजगदीष सोहन ग्यासी रामलखन सहित गई अन्य सदस्य शामिल हुये

राशन काला बजारी के खिलाफ हुआ प्रदर्शन

ग्राम— कदवा /पंचायत—कदवा समस्या— लोगों को नहीं मिल पा रहा पुरा राशन

आभार महिला समिति छतरपुर द्वारा ग्राम कदवा में कार्य किया जा रहा है जिसमें ग्राम कदवा में महिला समूह किसान समूह नरेगा समूह के साथ अनाज बैंक कि स्थान कि गई है लोगों ने बताया कि ग्राम में पात्र परिवारों को भी राशन हर माह नहीं मिलता साथ ही लोगों को पुरा राशन नहीं दिया जाता जिससे ग्राम के लोग परेशान हैं जो सभी फेडरेशन के सदस्य हैं

ग्राम में सभी समिति सदस्यों द्वारा मीटिंग की गई और तय किया गया कि हम बुन्देलखण्ड एकता विकास मंच के अन्य और साथियों को अपने साथ जोड़ कर इस समस्या को हल करने के लिए तैयार करते हैं और एक रणनीति के तहत कार्य किया गया जिसमें तय किया गया कि सभी साथी जिला कलेक्टर को शिकायत करते हैं और राशन में हो रही काला बजारी के खिलाफ आवाज उठायेगे और सभी ने मिल कर जिला कलेक्टर को से मिल कर राशन में हो रही कालाबजारी की शिकायत की जिसमें कलेक्टर ने आवषासन दिया कि हम जल्द ही इस समस्या के खिलाफ कार्यवाही कर लोगों को जल्द ही समस्या का समाधान किया जायेगा।

शिकायतकर्ता— बल्लू अहिवार देवेन्द मंगलदीन अर्जन अहिवार कमलेश यादव सुरेश वर्मा सरमन आदि।

21 परिवारों के बनाये बी.पी.एल. कार्ड।

ग्राम – अंतरार – पंचायत– अंतरार– परिवार संख्या –765

समस्या-पात्र लोगो के पास नहीं है राशन कार्ड

आभार महिला समिति छतरपुर द्वारा ग्राम अंतरार में कार्य किया जा रहा है जिसमें महिला समूह किसान समूह नरेगा समूह के साथ अनाज बैंक के स्थान के गई है लोगो ने बताया कि ग्राम में पात्र परिवारों के पास भी बी.पी.एल. के राशन कार्ड नहीं है और लोगो को राशन नहीं मिल पाता है जिसके कारण इन परिवारों को राशन के लिए परेशान होना पड़ता है। जिसकी शिकायत कई बार की गई आवेदन दिये गये पर राशन कार्ड नहीं मिल पा साहब।

संस्था द्वारा तय किया गया कि अब जब तक राशन कार्ड वन नहीं जाते हम लोग तहसील से नहीं आयेगे और राशन कार्ड बना कर ही हटेंगे जिस पर लोगो ने तहसीलदार से समर्पक किया और चर्चा की और बताया कि 6 माह हो गये अभी तक हमारे राशन कार्ड नहीं वने तहसीलदार विनय द्विवेदी ने कहा की हम आज ही आपकी जानकारी मगाकर आपको राशन कार्ड दिला देंगे है और इस तरह से 21 परिवारों के बनाये बी.पी.एल. कार्ड।

जानकी अहिवार, चुना आदिवासी, गोरे लाल, सरमन, शिला काशी वाई रामवती ललती राजकुमारी आदि।

8. CONCLUSION

इस कार्यक्रम के माध्यम से लक्ष्य समुदाय के लोगो में जन जागरूकता के साथसजगता आई लोगो द्वारा अपने काम को करने के लिए उत्सुकता और एक सहयोगात्मक भावना से आगे बढ़ कर कार्य करने के साथ समाज के भिन्न मुद्दों पर मिल एक साथ एक वेनर में कार्य करने पर लोगो की सहमति वनी है। अपने अधिकारों के लिए काम करने में किये गये प्रयास ही इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन को प्रदर्शित करती है। अन्य परियोजना के अपेक्षा जन समुदाय के लोग संस्थागत स्तर पर जुड़ने के लिए तैयार हुए है साथ ही लोगो में लगातार अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा जानकारी बैठकों और उनकी समस्याओं को हल कराने से एक सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि लोग अपनी समस्याओं को जिला स्तर पर रखने एवं अपने अधिकारों की बात करने लगे है। लोगो ने फेडरेशन के महत्व को जाना है साथ ही फेडरेशन के माध्यम से ही ग्राम का विकास किया जा सकता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेले विकास की लड़ाई नहीं लड़ सकता जिससे लोगो में आत्मविश्वास आया है।

परियोजना की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से ग्राम स्तर पर अलग-अलग पहलुओं को लेकर काम किया जा रहा है। वर्तमान समय में मनरेगा अन्तर्गत लेबर बजट /सुखा पेय जल रोजगार समाजिक सुरक्षा जैसे विषय पर लोग अपनी बात पंचायत से जिला स्तर तक रखने लगे है लोगो की समझ विकसित हुई है। पंचायत में भागेदारी में बड़ी महिला एवं पुरुषों में सामन्ता का भाव देखा जा सकता है महिलाओं में महिला संरक्षण व कानूनी समझ एषट हो रही है। ग्राम विकास की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

ग्राम एवं जिला स्तर पर आयोजित गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं की कार्यक्रम में सहभागिता बढ़ी है। संस्था द्वारा लगातार ग्राम स्तर पर मीटिंग, बैठक, कार्यशाला, अभियान, शासकीय योजनाओं से जोड़ने के कारण लोगो के बीच सघन जुड़ाव बना है जिससे संचालित कार्यक्रमों को सफल रूप से किया जा रहा है। वही फेडरेशन के माध्यम से एक नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है।

LIVELY HOOD AND FOOD SECURITY-

1. COORDINATION MEETING VEGETABLE CULTIVATION BENEFICIARIES—

स्थान कदवा, अतरार, रनगुवाँ

दिनांक - 05/10/2015 to 07/10/2015

उद्देश्य- To improve the economic conditions. Communities Increase in vegetation cover.

कुल प्रतिभागी— 75 म०— 36 / पु०—39 कुल कार्यक्रम सख्या— 03

उद्देश्य— समूहो / किचिन गार्डन सदस्यों की स्थिति में क्या बदलाव आया व कितना लाभ हो रहा ।

प्रक्रिया—ग्राम स्तर पर किसानों जो सब्जी लगाई गई थी या जो बीज दिया गया था उस लक्ष्य समुदाय के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें आज की क्या स्थिति है और समस्या पर चर्चा की गई ।

आभार महिला समिति द्वारा ग्राम पिपैराखुर्द, रनगुवा, पिपोराकला में किचिन गार्डन कराने के उद्देश्य से बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का शुभारम्भ परिचय सत्र के साथ विजय जी द्वारा किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि आप सभी लोग हमारी संस्था से विगत 9 वर्षों से जुड़े हैं और लगातार संस्था द्वारा ग्राम समुदाय के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में आज की इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ग्राम के ऐसे हितग्राहीयों से चर्चा करना है जो लोग पहले से ही कार्य कर रहे हैं या जिन्हें संस्था द्वारा पोषे उपलब्ध कराये गये थे। ताकी यह जाने सके की को किचिन गार्डन वरा लोगो के जीवन में क्या बदलाव आया है या कोई समस्या है आदि।

समुदाय के लोगो ने बताया की हर वर्ष भाती सभी को किचिन गार्डन के लोगो को कुछ न कुछ फायदा तो होता ही है और हम लोगो को भी हुआ था जिसमें हमने आलू मिर्च धनिया पत्ती टमाटर व अन्य सब्जीया का उत्पादन किया था और हमारी आय में बढ़ी थी यहा ममता के घर में लोग पहले मजदुरी करते थे आज वह अपनी ही दुकान लगा कर कार्य कर रहे हैं जो संस्था की देन है पर इस बार भगवान की मार ऐसी पड़ी की पुरी खेती चोपट हो गई साथ ही पानी न गिरने से जो लाभ सब्जी से होता था वह नहीं मिल सका।

ग्राम के 35 किसानों ने बताया की हमारे यहा पर थोडा पानी था जिसका लाभ हमें मिला और आज भी हमारी सब्जी बिक रही है। जिसमें टमाटर भटा पालक मेथी जो प्रति हप्ता 20से 30 कि.लो निकल आती है। जिसमें प्रति बजार 500 से 1000 रुपये की आय प्रति परिवार हो रही है जिससे हमारे परिवार का पालन हो रहा है पर सुखा से हम सभी परेशान हैं जिसके लिए आप कुछ प्रयास करे ताकी लोगो को भोजन मिल सके और किसी विपत्ति से बचा जा सके।

परिणाम— आज इन तीन ग्रामों में 35 परिवार हैं जिन्होंने किचिन गार्डन का लाभ हुआ और उनके परिवार का गुजारा इसी से चल रहा है। और उनके जीवन में बदलाव आ रहा है। आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है किसान प्रति परिवार प्रति सप्ताह 1000 रुपये की आय कर रहा है।

2. Follow up visit to NADEP Pits

स्थान— खैरो, पिपोराकला, गोची, कुरा, कुरा

दिनांक- 08.10-2015 to 17-10-2015

उद्देश्य- नाडेप निर्माण व जैविक कृषि को बढ़ावा देना।

चर्चा के बिन्दु— नाडेप का महत्व / जैविक कृषि का बढ़ावा नई तकनीक से खेती।

कुल प्रतिभागी— 55 म०— 12 / पु०—43 कुल कार्यक्रम सख्या— 05

प्रक्रिया – समूहिक चर्चा व्यक्तिगत चर्चा व लोगो वरा किये गये जैविक कार्य से लोगो का अनुभव

प्रदीप जी ने चर्चा की और पुछा की अभी तक हम लोगो ने नाडिप जो तैयार किये थे उनको कुछ खादूय का उपयोग किया हे पर पुरा लाभ नही लिया पर अब हम लोगो को यह तो समझ मे आ गया है कि जैविक कृषी के लाभ तो है ही साथ ही कम लागत भी कम आती है इसका तो आप लोगो को अन्दाज हो गया है तो अब हम लोगो को इस वार तो सुखा की वबज से कोई फसल नही ले सके और हमारा काफी नुक्सान भी हुआ हैं पर आगे के लिए हम लोग जो तैयारी करे वह सोच समझ करे करे और उसके लिए हमे अभी से खादूय बीज की व्यवस्था करनी होगी तो पहले हम नाडिप के माध्यम से इसको पुरा करने का प्रयास करे उसके बाद आगे की रणनीति तैयार करेगे तो एक वार पुनः हम इस पर चर्चा रके की नाडिप को किस तरह स बनाया जाता हैया उसकी खादूय कैसे तैयार होगी।

वर्मी कम्पोस्ट का महत्व बताते हुए सुरेश जी ने बताया कि आपके ग्राम मे वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण जैविक खेती का बढ़ावा और फसल की पैदावार बढ़ाने के उद्देश्य से खाद निर्माण के लिए कराया गया है। जिसके लिए सबसे ज्यादा आवाष्यक है कि आप इसके लिए छाया कि व्यवस्था करे क्योंकि यदि छाया कि व्यवस्था नही हो रही तो उसमे जो खाद है वो बनने से पहले ही सूख जाऐगी और सही से तैयार नही होगी। जिस पर धनष्याद प्यारी वाई भुरा चुन्नी लाल जी ने कहा कि इसके लिए हमे खेत के आसपास बल्ली लगाकर उसमे चारा आदि डालकर व्यवस्था की जा सकती है पर खादूय कब आयगा समय समय पर आयगा की नही जैसी समस्या हो सकती है। जिसमे पर बताया की अगर हम को खादूय तीन महीने के बाद चाहिए है तो आज से ही हमे प्रयास करने होंगे क्योंकि देशी खादूय को तैयार करने के लिए तीन माह का समय लगता है और अच्छी खादूय मिल जाती है। थोडा सा प्रयास करना पडेगा

आगे जी ने वर्मी कम्पोस्ट भरने की विधि बताते हुए कहा कि इसमे सबसे पहले काली मिट्टी बिछाते है इसके उपर गोबर उसी मात्रा मे डालते है इसके बाद इसी तरह इस प्रक्रिया को दोहराते रहते है। जब तक की वर्मी पूरी न भर जाये इसके बाद इसे केचुए डाले जाते है। जैसे कि आप सभी लोग जानते है कि केचुआ किसान का सबसे बडा मित्र है लेकिन आज के समय केचुआ देखने को नही मिलते है क्योंकि रसायनिक खाद के कारण केचुआ नष्ट हो गये है। केचुआ खेतो मे न होने के कारण जमीन ठोस हो गये है। और ठोस जमीन पर फसल पैदावार अच्छी नही होती है। जब जडा पर पानी घूप खाद आदि नही पहुचेगे तो पैधे कैसे बढेगे। केचुआ हमेशा जमीन के अन्दर रहते है। जो पूरी जमीन को पोला कर देते है जिससे जो पानी खाद घूप नमी आदि है वह बनी रहती है। और पानी बगैरह पहुचता है जिससे पैदावार अच्छी होती है। यही कारण है कि पहले के समय मे जैविक खाद को अधिक महत्व दिया जाता था और फसल भी अच्छी होती थी।

परिणाम—लोगो ने बताया कि इस वार तो किसान के यहा खने के लिए दाना नही है और जो वोया था वह भी नही निकला साथ ही साहूकार का कर्ज बैंक का कर्ज से किसान की हालत खराब है और लोगो के पास पलायन के अलवा कोई चारा नही है। साहव आप लो ही कुछ व्यवस्था करे कि घर के वुर्जक बच्चो का पालन हो सके।

2.3 Coordination meeting of Seed bank beneficiaries

स्थान—खैरो ,अतरार, कदवों

दिनांक—19.10.2015 to 26.10.2015

कुल प्रतिभागी— 63 महिला 33 पुरुष 30

उद्देश्य— बीज बैंक मे नही वचा अनाज सुखा के कारण से किसान कर्ज के साथ के पलायन के लिए है मजबुर

चर्चा के बिन्दु— किसानो को राहत दिलाये जाये साथ ही अनाज बीज की व्यवस्था कैसे हो ।

ग्राम मे लक्ष्य समुदाय के साथ सामुदायिक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग मे सामूहिक रूप से चर्चा के दौरान बीज बैंक के संचालन, के साथ क्या समस्याए आ रही है पर चर्चा के दौरान लोगो ने बताया कि अपना जो बीज बैंक था उसका तो हम लोगो को पुरा लाभ मिला है पर प्रकृत ने हमे धोका दिया है जिस कारण हम बीज नही लोटा पा रहे क्योंकि आपको मालूम है कि किसान के यहा खाने के लिए नही वह महिनो से लोगो ने दाल नही खाई वही रोज कमा रहे तब परिवार को भोजन मिल पा रहा है ऐसे मे अनाज की और व्यवस्था संस्था कराये तो लोगो पर बडा उपकार होगा नहि तो किसान के पास पलायन के अलवा कोई चारा नही हैं आज पुरा गाव सुखा के कारण परेषान है वही सुखा का सही सर्वे नही किया जा रहा मुआवजा की राशि से तो बीज का कर्ज नही चुक रहा ऐसे मे हम लोगो क्या करे ।

प्रदीप जी ने बताया कि हमारे जो बीज बैंक थे हमने सभी को पुरा अनाज तिवरण कराया है और सभी को बोला भी है कि इस बार कोई भी सदस्य बीज वापीस नहीं करेगा न ही बीज बैंक में जमा किया जायेगा तो आप लोग इसकी चिन्ता नहीं करनी है कि हम बीज कैसे वापीस करेंगे। रही बात आगे कैसे घर परिवार चले तो हम लोग पुरा प्रयास करेंगे कि आप लोगो को षासन की योजना का पुरा लाभ तो मिले ही साथ ही संस्था भी कुछ राहत आपको दिलाये जिसके लिए प्रयास जारी है। साथ ही हम लोग कुछ छोछे छोटे रोजगार भी प्रारम्भ कर अपनी आय कर सकते हैं जिसके लिए हम मिल कर कुछ कार्य करेंगे आप लोगो के साथ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे

परिणाम—संस्था द्वारा भी तय किया गया कि जहा जहा पर बीज बैंक है उस बीज से लोगो की मदद की जाये और पुरा बीज मुफ्त दिया जाये जब तक नई फसल नहीं होती या अन्य कोई राहत नहीं मिलती इस तरह से किसानो को बीज से राहत उपलब्ध कराई जाये।

Workshop on land bill

दिनांक— 30/12/2015

स्थान —वगा

उद्देश्य— वन अधिकार व सुखा राहत के तहत मुआवजा प्रकिया।

कुल प्रतिभागी— 55 महिला 22 पुरुष 33

मीटिंग का शुभारम्भ परिचय सत्र के साथ किया गया। जिसमें प्रदीप जी ने कहा कि आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ग्रामो में 'षासन द्वारा गरीबो की जमीन छिनी जा रही है उनको हटाया जा रहा है जमीन का मुआवजा सही रूप से वितरण नहीं किया जा रहा और हम लोग सब देखते ही रहते हैं और 'षासन हमें हमारी जमीन से हटा देती है आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यही है कि पहले हम जाने की 'षासन की प्रकिया क्या है और हमें किस तरह से 'षासन से निपटना होगा या मुआवजा की लड़ाई लडनी है। तो साथियो यही आज मुख्य मुद्दा है। ग्राम पंचायत बरदाहा में कार्य कर रही है जिसमें ग्राम बगा भी आता है ग्राम बगा जो की मूल रूप से आदवासी ग्राम है और यहा पर लगभग 100 आदवासी परिवार निवास करते हैं। जहा पर संस्था द्वारा नरेगा /किसान समितियों का गठन किया गया है। यहा पर षासन द्वारा तडपेड बांध का निमाण कराया गया जिसके लिए लोगो को विस्थापित किया जा रहा है। और कुछ परिवारो को विस्थापित कर दिया गया है। जिसमें ग्राम के लोगो की खेती के साथ मकान डूब क्षेत्र में होने के कारण लोगो को हटाया जा रहा है। षासन द्वारा लोगो को कहा गया था कि आपको मकान के बदले मकान दिया जायेगा पर ऐसा नहीं किया गया और और कुछ लोगो को मकान के बदले पटाल एक एक कमरा बना कर दिया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ भी नहीं मिला जिन्हें मुआवजा दिया जा रहा है वह भी 3000 से 5000 हजार रुपयें जबकी विस्थान से पहले बडे बडे वादे किये गये थे पर आज षासन वहाने कर रहा है और अधिकारी सुन नहीं रहे। विस्थापन परिवारो के सर्वे में धांधली की गई और आज लोगो को सोने के लिए आसरा नहीं मिल पा रहा। जिसके लिए ग्राम के 50से 60 लोगो को जोड कर जिला प्रषासन को आवोदन दिया गया जिसमें सभी ने पुनः सर्वे कराने की मांग की और सभी को मकान मुआवजा मिले इसके लिए प्रषासन पर दवा दिया गया। इसके बाद लोगो को प्रदेश में किये जा रहे आदिवासीयो के विस्थापना व स्थिति पर चर्चा की गई।

भारत देश की आबादी का एक बहुत बडा हिस्सा आज भी गांव में रहता है। जो कि 60 प्रतिशत से अधिक है एवं गांव में रहने वाले वंचित समुदायों जैसे दलित, आदिवासी एवं अन्य की अजिविका एवं विकास को सुनिश्चित करने में भूमि की एक बहुत बडी भूमिका है। जमीन न सिर्फ उनकी अजिविका का एक आवश्यक संसाधन है बल्कि समाज में प्रतिष्ठा एवं सामाजिक सुरक्षा का भी एक साधन है। साथ ही भूमि के समान वितरण से समाज में सकारात्मक सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन तथा समानता लाने में भी सहयोग मिलता है। यदि हम भारत का इतिहास देखें तो उक्त समुदायों को जमीन से वंचित रखा गया है अथवा वंचित किया जा रहा है। सरकारो द्वारा आजादी के बाद से ही लेण्ड रिफार्म की बात कही जाती रही है। आजादी के तत्काल बाद सरकार की पहली प्राथमिकता लेण्ड रिफार्म थी। परंतु हमारे देश में कुछ ईलाको को छोड दें तो लेण्ड रिफार्म का काम पुरी तरह विफल रहा है। लेण्ड रिफार्म के अन्तर्गत आजादी के बाद से मध्यप्रदेश में भी सरकारों द्वारा कुछ प्रयास किए गए।

जिसमें आखरी प्रयास वर्ष 2002 में दलित एवं आदिवासी समुदायों को भूमि का वितरण था। तत्कालीन मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 13 जनवरी 2002 को 21 सुत्रिय भोपाल डिकलरेशन जारी किया गया। जिसके बिन्दु क्रमांक 10 में मध्यप्रदेश के सभी भूमिहीन दलित एवं आदिवासी परिवारों को दिसंबर 2002 तक भूमि उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई थी। सरकार द्वारा चरनोई (गार्जिंग) के लिए आरक्षित की गई 7.5 प्रतिशत जमीन से कम कर 5 प्रतिशत किया गया एवं बाद में इसे 2 प्रतिशत और घटाया गया एवं इस प्रकार कुल 7 लाख एकड़ जमीन जो बची उसे 344329 परिवारों में बाटा गया। इस हेतु सरकार द्वारा 2 मार्च 2002 को एक आर्डर निकाला गया। दिसंबर 2002 तक इस प्रकार का भूमि वितरण सरकार द्वारा किया गया

सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस भूमि वितरण के बाद भी मध्यप्रदेश की 30 प्रतिशत आबादी वाले दलित एवं आदिवासी समुदाय के पास मात्र 14 प्रतिशत जमीन ही थी। एवं वास्तविकता में उससे बहुत ही कम। क्योंकि सरकारों द्वारा समय-समय पर उक्त वंचित समुदायों को भूमि का जो वितरण किया गया वह भूमि पहले से ही गांव के दबंग लोगों एवं जमींदारों के पास थी एवं वे किसी भी किमत पर इन जमीनों से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसके चलते यदि हम सबसे आखरी यानी वर्ष 2002 का भूमि वितरण देखें तो एक अनुमान के अनुसार 60 प्रतिशत से अधिक परिवारों को मिली भूमि में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उन्हे आ रही है जो इस प्रकार है –

पट्टा मिला परंतु कब्जा बिल्कुल नहीं मिला। कब्जा मिला है परंतु आधी अधुरी जमीन पर कब्जा मिला। आवंटित भूमि का अब तक सीमांकन नहीं किया गया। जिसके चलते परिवार को पता नहीं कि उसकी जमीन कहां है। जमीन तक जाने का रास्ता नहीं मिल पाया। (जबकी यह हर व्यक्ति का कानूनी अधिकार है कि उसे रास्ता मिले)। इस प्रकार यदि हम देखें तो 344329 परिवारों में से 206597 परिवारों को मिली जमीन में कब्जा मिलने में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। इतिहास गवाह है कि जब-जब एक वर्ग विशेष ने अपने हित में जंगल-जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की तब-तब विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। वैसे भी, अधिकतर विद्रोह, बगावत या संघर्ष संपत्ति के लिये ही होते रहे हैं। अगर सिर्फ 1857 से 1947 तक के किसी भी विरोध या संघर्ष को देखें तो उसके पीछे स्वतंत्रता की भावना के साथ कहीं न कहीं जमीन अथवा संपत्ति का संघर्ष छिपा हुआ है। यहां एक कोशिश है जमीन के सवाल पर लड़े या खड़े हुए आज तक के कुछ प्रमुख संघर्षों को जानने की। ताकि हम आज के भूमंडलीय पूंजीवादी दौर में हाथ से छिनती जमीन, जंगल और प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिये पुनः एकजुट हो सकें। इतिहास को सामने रखकर संघर्ष की राह पकड़ सकें। उपरोक्त परिस्थितियों में बड़ी संख्या पट्टेधारी अपनी भूमि के अधिकार से वंचित हुए हैं। सिर्फ 21 प्रतिशत पट्टेधारकों को उनकी पूरी भूमि का कब्जा हासिल हुआ, जबकि 52 प्रतिशत को उनकी भूमि पर कब्जा हासिल ही नहीं हुआ, जितनी भूमि उन्हें आवंटित हुई। 27 प्रतिशत हितग्राहियों को तो उनके पट्टे की जमीन पर कब्जा हासिल ही नहीं हुआ। इससे यह स्पष्ट है कि दलित समुदाय की सामाजिक आर्थिक हैसियत कायम करने तथा उन्हें सामाजिक न्याय, बराबरी और आजीविका सुरक्षा के जिस मूलभूत उद्देश्य से दलित समुदाय को भूमि आवंटित की गई, वह उद्देश्य पूरा ही नहीं हुआ।

अगर हमें प्रदीप जी ने बताया की अगर हमें सरकार हमारी जमीन का ही मुआवजा नहीं देती या जमीन के बदले जमीन नहीं देती तो हमें भी आंदोलन करना हो जो वर्षों पहले गांधी ने किया था या कभी छत्तीसगढ़ में हुआ था तो अभी हम और जानकारी जमा करें और प्रषसन के साथ समर्पक करें की हमारे बारे में क्या सोचते हैं हमें हमारा मुआवजा मिलें और रहने के लिए घर और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। प्रभातिव परिवारों ने सर्वे पुनः किया जाये को लेकर ग्राम के मुन्ना आदिवासी मातादीन भूरा परम भज्जू लल्लू ग्यासी रामप्यारी मोहन आदिवासी ने मार्ग की

Perspective Building and Institutional Strengthening

1- Narega group Promotion meeting

स्थान— पिपौराकला, पिपौराखुर्द

दिनांक— 29.10.2015

उद्देश्य— नरेगा ग्रुप को सही से संचालित करना साथ ही आगामी कार्ययोजना तैयार करना।

कुल प्रतिभागी— 47 महिला 24 पुरुष 23

प्रक्रिया— ग्राम में गठित नरेगा ग्रुप सदस्यों के साथ सम्पर्क कर मीटिंग का आयोजन किया गया। प्रतिभागीयों को नरेगा के बारे में जानकारी दी गई और ग्रुप के संचालन, सदस्यता आगामी रणनीति पर चर्चा की गई।

मीटिंग का शुभारम्भ परिचय सत्र के साथ किया गया। जिसमें प्रदीप जी ने कहा कि आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ग्राम स्तर पर गठित संचालित नरेगा ग्रुप की आगामी कार्य योजना तैयार करना है जिससे लोगों को योजनाओं से जोड़ा जा सके और नरेगा के अन्तर्गत लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके।

आगे प्रदीप जी ने बताया कि ग्राम स्तर पर नरेगा की समस्या को देखते हुए आपके ग्राम में नरेगा ग्रुप का गठन किया गया है। हम सभी को एक बार इस संगठन को सषक्त व मजबूत करने की आवश्यकता है जब संगठन एक बार ठीक व सही रूप में काम करने लगता है। तो धीरे धीरे समस्याएं कम होने लगती हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम सभी लोग मिल कर अपने इस संगठन के लिए कार्य करें यदि एक बार अपना ये संगठन मजबूत हो जाएगा तो फिर आगे काम करने में कोई समस्या नहीं होगी साथ ही आवश्यकता के अनुसार काम मिल सकेगा समय पर मजदूरी के लिए दवा वनाया जा सकता है। संगठन को सही से संचालित करने के लिए आवश्यकता है कि हम अपने मण्डल की नियमित बैठक करें साथ ही आगामी किये जाने वाले कार्यों के बारे में विधिवत् कार्ययोजना बनायें।

साथ ही उन्होंने बताया कि अब हमारा कमा आया है की कार्य ग्राम के विकास के साथ लोगों की मददकी जाये क्योंकि ग्राम पुरा जिला सुखा की मार झोल रहा है लोगो के पास काम नहीं है कर्ज बड गया है वही अन्य खर्च लगे है तो आज आवश्यकता है कि हम लोगो मिल कर कार्य करें और गाव के ऐसे परिवार जो जरूरत मंद है या जिन्हे काम की आवश्यकता है ऐसे परिवारो को चिह्नित करें और उनके आवेदन तैयार कराये ताकी लोगो को नरेगा में कमा मिल सके और लोग गाव छोड कर पलायन न कर सके ।

हम ने भी नरेगा अधिकारी से बात की थी तो उनका भी कहना है कि हर पंचायत में हमने एक एक मेड वधान तथा अन्य कार्य स्वीकृत किये है ताकी लोगो को समय पर काम मिल सके और पलायन को रोका जा सके तो भईया कोषिस करें कि कोई भी व्यक्ति गाव छोड कर न जा सकें। और नये काम के लिए ग्राम सभा में भी प्यालन लगाना है ताकी काम बंद न हो सके। सभी ग्रामवासीयो लोगो ने मिल करर्क करने और लोगो को नरेगा से काम मिले इसके लिए एक जुट हो कर कार्य करने पर सहमति प्रदन की।

परिणाम- सुखा होने के कारण लोगो ने समितियो के सहयोग से लोगो को काम दिलाने की बात कही वही लोगो को सुखा राहत के अर्न्तगत मिलने वाले मुआवजा पर अपनी नजर रखने को कहा तकी सभी लोगो को मुआवजा मिल सके साथ ही सर्वे भी सही हो। इसके लिए रणनीति तैयार की गई। और अधिक लोगो को नरेगा ग्रुप में शामिल किया जाये तथा संगठन को और मजबुत करने पर जोर दिया गया।

2.2 Oprational meeting federation/Pos

स्थान— पिपौराकला, पिपौराखुर्द

दिनांक—31.10.2015

उद्देश्य— आगामी रणनीति तैयार करना रोजगार गारंटी में लोगो की भुमिका बचत नियम पर चर्चा।

कुल प्रतिभागी 28 महिला 7 पुरुष 21

प्रक्रिया— सदस्यों की कार्यक्रम में रणनीति, कार्ययोजना नरेगा में लोगो की भागेदारी तय करना।

आभार महिला समिति द्वारा पिपौराखुर्द, पिपौराकला में दिनांक 31.10.2015 को मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें संस्था कार्यक्रम अधिकारी प्रदीप खरे, ने कार्यक्रम की शुरुआत परिचय सत्र से की गई। जिसमें उन्होंने की जैसे कि आप लोग जानते हैं कि संस्था क्या काम करती है। संस्था आभार महिला समिति विगत 15 वर्ष से समाज विकास एवं महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यकर रही है। वर्तमान समय में हमारा काम छतरपुर जिले की 15 पंचायतों के 17 ग्रामों में चल रहा है। ग्रामों में हमारे काम करने का मुख्य उद्देश्य ग्राम विकास के साथ लोगो की योजनाओं में सघन भागेदारी तय करना है।

कार्यक्रम के दौरान लोगो ने बताया की पुरे जिले मे सुखा पडा हुआ है और लोग अपना घर बार छोड कर ग्राम से षहरो की ओर पलायन कर रहे है वही जो लोग समूह चला रहे थे या बचत जमा नही कर पा रहे अव उनको पैसा की जरूरत है और उनका कहना है की हमारा समूह बंद कर दिया जाये ताकी हम लोग बाहर काम के लिए जा सके । लोगो द्वारा तय किया गया कि समूह को किसी न किसी तरह से लो दिलाया जाये ताकी लोग कुछ काम कर सके साथ ही हमारा प्रयास होना चाहिए कि ऐसे लोग जो काम करना चाहते है उनको षासन की योजनाओ से जोडा जाये इसके बाद भी कार्य नही दिया जाता तो हम फेडरेशन के माध्यम से लोगो के आवेदन कराये या प्रशासन से सम्पर्क कर आग की रणनीति तैयार करे ।

वर्तमान मे सुखा राहत के तहत लोगो को काम से जोडा जा रहा है वही सर्वे किया जा रहा तो हमारी भुमिका होगी कि हम लोगो को ज्यादा से ज्यादा इस वारे मे बताये कि वह घर पर ही रहे साथ ही फसल नुक्सान का सही सही आकलन कर सर्वे कर्ता से लिखवाये नही तो मुआवजा का पैसा नही मिल सकेगा। साथ रोजगार गारंटी मे ज्यादा से ज्यादा लोग काम के लिए आवेदन करे ताकी लोगो को यही ग्राम मे ही कमा मिल सके।

Collective Action & Advocacy

3.1 Collective action throught BBAM Regional meeting

स्थान- छतरपुर

दिनांक- 15.11.2015

उददेश्य- स्थानीय स्वयं सेवी संस्थाओ को सशक्त कर नेटवर्क को मजबूत करना।

आभार महिला समिति छतरपुर द्वारा दिनांक 15.11.2015 को स्थानीय स्वयं सेवी संस्थाओ के सदस्यो के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया। जिसमें 22 लोगो की सहभागिता रही। मीटिंग की शुरुआत परिचय सत्र के साथ शुरू की गई जिसमें कार्यक्रम अधिकारी प्रदीप कुमार खरे जी ने अपना परिचय दिया और बताया कि आभार महिला समिति छतरपुर विगत 15 वर्षों से जिले में काम कर रही है। एवं कासा परियोजना के सहयोग से 7 वर्ष से जिले की 17 पंचायतों में काम किया जा रहा है। जिसमें बीबाम भी एक नेटवर्क के रूप में हमारे साथ जुड़ा है वही लोक स्तर पर भी एक संगठन बनाया गया है जिसका नाम बुन्देल खण्ड एकता विकास मंच है जिसमें ग्राम के लगभग 300 लोगो की भागेदारी है। जिसमें कई लोग आगे आकर आज मजबूत संगठन के रूप में कार्य कर रहे हैं।

आज की मीटिंग का उद्देश्य है कि स्थानीय स्तर पर कार्य कर रही स्वयं सेवी संस्थाएँ एक जुट होकर कार्य करे ताकी समाज की लड़ाई को एक जुट हो कर लड़ा जा सके और समाज के गरीब तपके को न्याय मिल सके। और इसके लिए आवश्यकता है कि जिले में एक मजबूत संगठन हो जो मुद्दों के साथ खड़ा हो। संस्था में रहकर लोगो के हक की लड़ाई को अव लड़ना उतना आसान नही है क्योंकि जो नये नियम कानून आ रहे है उससे तो संस्था को भी चलाना मुषिल हो रहा है।

आगे प्रभाती जी ने बताया कि संगठन की मजूती की बात कही जा रही है। तो पहले हमे सोचना होगा कि हम कुछ महिलाये और पुरुष मिलकर अपनी जिम्मेदारी को सही रूप से निभाये और विचार कर नये लोगो को सौपा जाये। दूसरी बात संगठन को मजबूत करने के लिये खुद कुछ करना होगा। अन्य साथियो ने अपने-अपने विचार रखते हुए कहा कि संगठन को नेटवर्क की आवश्यकता है। संस्थाओ के लोगो को प्रबंधकारिणी में होना चाहिए। तथा हर माह में कम से कम एक मीटिंग करना आवश्यक है। अगर दो लोग मिलकर प्रयास करे तो निश्चित ही हम लोग आगे जायेगे। इसलिए कुछ काम नेटवर्क के माध्यम चलना आवश्यक है जिससे नेटवर्क को मजबूत किया जा सके।

प्रदीप जी ने बताया कि आज संस्थाओ पर इतने नियम कानून बनाये जा रहे है कि आप धरना/रैली/अनसन/नारे /चक्काजाम /जनसुनवाई जैसे कार्य नही कर सकते सरपंच के साथ मीटिंग नही कर सकते ऐसे में आप आम आदमी की लड़ाई कैसे लड़ सकेगे सोचने की आवश्यकता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम मिल एक जन संगठन बनाये और लोगो को उनके अधिकार दिलाने के लिए एक जुट होकर कार्य करे जिसके आवश्यक सनसाधन कासा व अन्य संस्थानो से जोडने का प्रयास करे साथ ही कुछ हम सब मिल कर एक फंड जमा करे ताकी समय आने पर मुद्दों के साथ कार्य किया जा सके।

परिणाम—कार्यक्रम में तय किया गया कि प्रबंधकारिणी एवं संगठन को मजबूत बनाने के लिए एक ढांचा तैयार किया जाये साथ ही उसके लिखात में कोई ऐजेन्डा बनाया जाये सदस्यों की सदस्यता पंचजि हो लेटर पेड तैयार किया जाये ताकी हमारी एक पंहचान बन सके। आगे हर माह एक मिटिंग रखने का प्रस्ताव आया और अगले माह इसी दिन मिटिंग होगी पर सहमति बनी।

प्रदीप जी ने सभी का आभार व्यक्त किया और मीटिंग का समापन किया।

2- Dialog with media on policy- MNREGS, RTI, FRA ,PDS

स्थान— छतरपुर

दिनांक—15.12.2015

उद्देश्य— ग्रामीण जन की जन समस्याओं से प्रशसन व मिडिया को अवगत करना।

प्रक्रिया— पत्रकारों से व्यक्तिगत चर्चा के माध्यम से जन समस्याओं को रखा गया।

आभार महिला समिति छतरपुर व कासा भोपाल के सहयोग से दिनांक 15.12.2015 को छतरपुर में दोपहर 3 बजे पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें ग्राम बरदहा/ गोची/ कुरा/ अतरार/ परापटी/ **बसाटा**/कदव/रनगुवा/ पिपैराकला अलावा स्थानीय पत्रकार श्री प्रतिक जी श्री प्रमोद चैरासिया, विकास चैरासिया, लोकेश चौरसिया जी रफीक खान अकुर जी सहित कुल 20 लोगों की सहभागिता रही।

कार्यक्रम का परिचय देते श्री प्रदीप जी ने बताया की आभार महिला समिति छतरपुर विगत पिछले 15 वर्ष से समाज विकास व जन कल्याण के लिए प्रयास रत है। संस्था छतरपुर ब्लॉक की 15 पंचायतों 6 वर्ष महिला सशक्तिकरण के साथ आजीविका को लेकर कार्य कर रही है जिसमें लोगों को ग्राम स्तर पर ही रोजगार मिल सके तथा ग्रामों से हो रहे पलायन को कम किया जा सके। आगे उन्होंने बताया की संस्था द्वारा ग्रामों में बीज बैंक/किसान फेडरेशन/युवा संगठन महिला समूहों के माध्यम से किचिन गार्डन लगाये गये तथा युवाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण देकर आजीविका से जोड़ा जा रहा है जिसमें दुकान/हाटबजार का आयोजन/ दुकान जैसी छोटी छोटी इकाई लगाई जा चुकी है आज की इस मिटिंग बुलाने का उद्देश्य यह है कि ग्राम स्तर पर जो लोगों की छोटी छोटी समस्या है उनको आपके सामने लाना तथा आपके माध्यम से स्थानीय प्रशासन को ग्राम की समस्याओं से अवगत करना है।

श्री शिवप्रसाद तिवारी— ने बताया कि हमारे ग्राम बरदहा में सबसे ज्यादा समस्या शैचालय की है हमारे ग्राम में सभी लोग शैचालय बनवाने एवं सहयोग करने के लिए तैयार है। इस सम्बन्ध में सरपंच सचिव से बात करने पर उन्होंने बताया कि अभी शैचालय को पैसा आया नहीं है जब आ जाएगा तो बनवा देंगे। हम सभी ने शैचालय निर्माण के लिए पहले भी आवेदन तैयार कर सचिव को दे दिये थे लेकिन उस पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है।

श्री गोविन्द दास आदिवासी— हमारे ग्राम अतरार में इस समय सबसे ज्यादा समस्या पानी की है। हमारे यहां पर नल जल योजना के अन्तर्गत टंकी बनवाई गई थी और उससे ग्राम के सभी लोगों को पानी भी मिलता था लेकिन वर्तमान समय में वहां का तार टूट जाने के कारण हम लोग पानी के लिए बहुत ही परेशान हैं। इसको लेकर कई बार सरपंच से भी बात की लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री पूरन आदिवासी— हमारे ग्राम कुरा में लोगों को राशन की पर्चीयां वितरित न होने के कारण लोगों को समय पर राशन नहीं मिल पा रहा है जिसको लेकर हम लोगों ने अपने ग्राम सचिव से बात की है लेकिन अभी तक उसका कुछ भी नहीं हुआ है। जिसके कारण हम सभी लोग बहुत ही परेशान हैं।

कदवा — कदवा में सरमन आदिवासी ने कहा कि हमारे ग्राम में लोगों के पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। लोगों के बहुत बार इस बात को सामने रखा है हमारे ग्राम में भी अपना एक बाजार लगाना चाहिए इससे दो लाभ हैं एक तो ग्राम का विकास होगा साथ ही ग्राम के एवं आसपास के लोगों को एक स्थाई अजीविका का साधन मिल जाएगा जिसके माध्यम से अपना जीवन निर्वाह एवं भरण पोषण आसानी से कर सकते हैं।

श्री किशन यादव— ग्राम गोची के किशन ने बताया कि हमारे शैचालय की राशि आ गई है पर किसी के यहां पर शैचालय नहीं बने है साथ ही लोगों का काम नहीं मिल रहा मध्याह्न भोजन की स्थिति खराब है ऐसे में ग्राम के लोग परेशान हैं और सरपंच/सचिव नजर नहीं आते वह गांव में रहते नहीं हैं। पेसन दो दो माह से नहीं मिली।

श्री रामकुमार—ग्राम परापटी के रामकुमार ने बताया कि यहा की हालत ऐस है की लोगो कोई काम नही सरपंचे कभी आते नही सामतंषाही का बोलबाला है जाबेकार्ड सरपंच के पास है किसी को भी कोई काम नही मिलता पेसन 6 माह से नही मिली लोगो को जो शिकायत करता है उसको पीटा जाता है या परेषान किया जाता है जिस कारण कोई शिकायत तक नही करता ।

अनूप पटेल—ग्राम पनोठा के श्री पटेल ने बताया की हमारे ग्राम मे 1 साल से ज्यादा हो गया लोगो की इन्दिरा आवस सविकृत हुये पर आज तक काम नही लगा न ही पैसा मिल रहा लोगो के पास काम नही है महिनो पैसा नही मिलता रोजगार गारंटी मे कोई काम नही करना चाहता ।

श्री रामधीन विष्वकर्मा— उन्होने बताया कि ग्राम पिपौराकला मे जनपद द्वारा जो पुल निर्माण कराया जा रहा है उसकी गुण वतता इतनी खराब है कि 25 —1 का मषाला लगाया जा रहा है वही कई वार शिकायत करने के बाद भ कुछ नही हो रहा लोगो को पीने के लिए पानी नही है। एक गरीब के घर को अनाज लोगो ने जला दिया पर उसको कोई राहत नही दगई सरपंच देखने तक नही आया लोग पलायान कर रह है ।

परिणाम—अकुर जी —बेठक मे उपस्थिति सदस्यो ने कहा की आप लोगो ने जो मुद्धे रखे है उनको हम प्रषासन के साथ चर्चा भी करेगे साथ ही प्रदीप जी द्वारा समय समय पर प्रेस नोन जारी होता रहता है गाव की समस्या से अवगत कराता रहता है पर आप लोग यहा तक आये और आपने मिडिया को अपना समझा खुशी की बात है और हम लोग आपके साथ है पहले भी हमने आपके मुद्धो को लिखा है। और कई स्थान पर समस्या हल हुई तो परिणाम धिरे धिरे ही आते है सुधार होगा होगा जरुर धन्यवाद

3 campaign on social audit pocess

स्थान—रनगुवा, कदवा, अतरार, बसाटा, खैरो, कला, पिपौराकला, पिपौराखुर्द, गोची, परापट्टी,, मनपुरा, बरद्वाहा, पिपौराबगा, परापट्टी

दिनांक— 02.11.2015से 08.11.2015

उद्देश्य— पंचायत द्वारा किये गये कार्य का समाजिक अंकक्षण प्रक्रिया ।

प्रक्रिया—आभार महिला समिति द्वारा दिनांक 2.11.2015 से 8.11.2015 ग्राम बसाटा, अतरार, कदवा, परापट्टी, खैरो, रनगुवा, पिपौराखुर्द, गोची, मानपुरा और बरद्वाहा में **Comp[sign on social audit process program meeting** का आयोजन किया गया। जिसमें आभार महिला समिति के कार्यकर्ता सुरेश कुमार वर्मा /रामकुमार /आषा प्रदीप जी मुख्य रूप से कार्यक्रम शामिल हुये।

माध्यम से समाजिक अंकक्षण अभियान का आयोजन किया गया जिसमे संस्था पदाधिकारी सहित कुल 327 प्रतिभागी शामिल हुए।जिमसे महिला 145 पुरुष 182 कार्यक्रम का शुभारम्भ परिचय सत्र के साथ किया गया जिसमे प्रदीप जी ने अपना एवं संस्था का परिचय देते हुए कहा कि वैसे तो आप सभी लोग हमे और हमारी संस्था को जानते है क्योंकि 05 वर्षो से जुडकर आप लोग लगातार हमारे साथ कार्य कर रहे है। साथ ही लगातार समय समय पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमो मे शामिल होते है। संस्था कासा परियोजना के अन्तर्गत छतरपुर ब्लाक की 15 पंचायतो के 17 ग्रामो मे कार्य कर रही है। और हमारे कार्य करने का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य समुदाय का क्षमता बर्धन कर सामाजिक, आर्थिक रूप से सषक्त कर अजीविका से जोडना है जिससे कि वे समाज मे लोग आत्म सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके। आज के इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जन समुदाय को समाजिक अंकक्षण के बारे मे जानकारी देना साथ ही उन्हे उनके अधिकारो एवं समाजिक अंकक्षण के महत्व के प्रति सवेदनशील बनाना है जिससे कि जन समुदाय इसकी उपयोगिता एवं महत्व को जाने और अपने अधिकारो का उपयोग कर सके।

आगे प्रदीप जी ने कहा कि समाजिक अंकक्षण एक पंचायत द्वारा कराया जाने वाला अंकक्षण है जो कि ग्राम सभा के सदस्यो द्वारा किया जाता है। समाजिक अंकक्षण मे पूरे वित वर्ष का व्योरा एवं लेखा जोखा ग्राम सभा के सामने रखा जाता है। इसमे पंचायत अन्तर्गत कितनी आई और कितनी राषी खर्च की गई कौन से काम स्वीकृत थे और कौन से कितने काम किये गये है। इस समाजिक अंकक्षण करने का हक और इसमे भागेदारी करने का अधिकार पंचायत के प्रत्येक ग्रामवासी को है जो उस ग्राम का निवासी है।

आगे उन्होंने बताया कि किसी भी काम के सही से क्रियान्वयन एवं उसकी गुणवत्ता की परख करने के लिए समाजिक अंकेक्षण बहुत ही अवाश्यक है। जिस पर प्रदीप जी ने कहा कि मनरेगा के अन्तर्गत समाजिक अंकेक्षण के माध्यम से ग्राम सभा में पुष्टि की जाती है यही समाजिक अंकेक्षण कहा जाता है। समाजिक अंकेक्षण के लिए अलग से ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है। इसकी सूचना ग्रामवासी को 07 दिन पहले ही दी जाती है। इसके अंकेक्षण में उन लोगों की भी मौजूदगी अवाश्यक है जिसने मनरेगा के अन्तर्गत काम किया है क्योंकि वह मनरेगा एवं काम की स्थिति को अच्छे से बता सकते हैं।

परिणाम— पोस्टर एवं पम्पलेट के माध्यम से समाजिक अंकेक्षण के महत्व के बारे में जानकारी दी गई जिसे लोगो ने अच्छे से सुना और समझा साथ ही समाजिक अंकेक्षण के बारे में और भी ज्यादा बातें जानने की इच्छा लोगो में देखने को मिली। ग्राम हिम्मतपुरा के भगवती प्रसाद शिवहरे ने इस अभियान के लिए संस्था का धन्यवाद करते हुए समय-समय पर इस तरह के कार्यक्रम संचालित करने की बात कही जिससे समाज के लोगो में जागरूकता एवं संवेदनशीलता आये।

4- Coordination meeting with government agencies on program/scheme

स्थान— ईषानगर

दिनांक— 30.11.2015

उद्देश्य— संस्था द्वारा किये जा रहे कार्यक्रम से अवगत करना व ग्राम स्तर पर संचालित योजनाओं के सही क्रियान्वयन।

Defenation- ग्राम में गठित समूहों/फेडरेशन व संस्था कार्यकर्ताओं के साथ सामुहिक चर्चा।

कुल प्रतिभागी 32 महिला 11 पुरुष 21

आज दिनांक 30.11.2015 को आभार महिला समिति द्वारा स्थानीय प्रषसन के साथ समन्वय मीटिंग का आयोजन किया गया। जिसमें संस्था अध्यक्ष प्रभाति खरे, उद्यानिकी विभाग अधिकारी (शैलेन्द्र मिश्रा जन अभियान समन्वयक सुनिल वर्मा कृषि विभाग से विनोद खरे जी व आर के सक्सैना आर के गुप्ता पंचायत तथा मनरेगा जिला समन्वयक अमित सक्सैना सहित अन्य लोग उपस्थित हुये। मीटिंग की शुरुआत स्वागत और परिचय सत्र के साथ की गई। जिसमें कार्यक्रम अधिकारी प्रदीप खरे जी ने अपना परिचय देते हुए विभागीय अधिकारी को संस्था के कार्य एवं उद्देश्य के बारे में बताया कि आभार महिला समिति 15 वर्षों से कार्य कर रही है। जिसका मुख्य उद्देश्य लोगो को संगठित व जागरूक कर लोगो अजीविका से जोड़ना ताकी लोग आत्मनिर्भर हो कर आत्म सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। संस्था द्वारा छतरपुर ब्लॉक की 15 पंचायतों के 17 ग्रामों में महिला सशक्तिकरण व आजीविका को लेकर कार्य किया जा रहा है। हमारा कार्य मुख्य रूप से अ0ज0, अ0ज0ज0 और अ0पि0वर्ग के साथ है ग्राम स्तर पर अपने कार्यों को एक सफल रूप देने के लिए अलग-अलग समूहों का गठन कर उनके साथ अलग-अलग कार्य किये जा रहे हैं। जैसे किसान मण्डल, किशोरी मण्डल, युवा मण्डल, महिला समूह, नरेगा गुप आदि।

प्रदीप जी ने बताया कि परियोजना द्वारा ग्राम स्तर पर आनाज बैंक, बीज बैंक, बर्मी कम्पोस्ट, नाडेप निर्माण, किचिन गार्डन और बीज वितरण कराया गया। जिससे ग्राम किसानों को आर्थिक रूप से कुछ सहयोग मिले, उनकी समस्याएं कम हो साथ ही जैविक कृषि को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। आगे उन्होंने बताया की संस्था को जिला स्तर पर कृषि विभाग व उधनिमकता विभाग का भर पुर्ण सहयोग मिल रहा है जिसमें सेकडो किसानों का बीज पोधे मशीन पाईप आदि का वितरण संस्था के सहयोग से कराया गया। जिसमें लोगो को आर्थिक व समाजिक रूप से लाभ मिल पा रहा है।

शैलेन्द्र जी ने कहा कि हमारा और आपका उद्देश्य एक ही है लेकिन काम करने का तरीका थोड़ा अलग है आप लोग पात्र हित्र ग्राही को सीधे लाभ पहुंचा रहे हैं पर हमें कुछ दस्तावेज चाहिए होता है जिस कारण आम किसान करना नहीं चाहता है जिस कारण हमारा बीज समय पर वितरण नहीं हो पाता है अगर आप हम मिल कर इसको करें तो निश्चित ही और अधिक लोगो तक हमारी पहुंच वनेगी जिसका लाभ आम नागरिक को होगा।

शैलेन्द्र जी ने बताया की अभी विभाग एक नया नियम आया है जिसमें उद्यानिकी विभाग में किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा नहीं तो किसी भी किसान को योजना का लाभ नहीं रजिस्ट्रेशन एम0पी0अनलाईन पर Horticulture Department में होगा इसके लिए हितग्राही को अपना एक पासपोर्ट साईज फोटो, एक फुल फोटो, जमीन का नक्सा, ट्रेस, खसरा, राशन कार्ड, बोटर आईडी आदि सभी अवाश्यक दस्तावेज लेकर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक पावती मिलेगी जो आपकी Horticulture Department में पात्रता निर्धारित करेगा। आगे किसान जिस भी योजना का लाभ लेने के लिए

आवेदन लगायेगा उसके लिए रजिस्ट्रेशन आईडी आवश्यक होगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन कराते समय इस बात का ध्यान रखे की उसमे अन्य के Option पर जाकर सभी पर Mark करे क्योंकि यदि किसान केवल एक योजना का चुनाव करेगा तो उसे केवल उसी योजना का लाभ मिलेगा लेकिन यदि वह सभी पर Mark करता है तो उसे सभी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

इस रजिस्ट्रेशन में कुल 30 रुपये खर्च होना है जिस पर केवल 10 रुपये हितग्राही को देय होगा बाकी के 20 रुपये शासन द्वारा दिया जाएगा। इसलिए आप लोगो से अनुरोध है की ज्यादा से ज्यादा लोगो को रजिस्ट्रेशन कराये ताकी आने वाले समय पर लोगो को विभाग की योजनाओं का लाभ मिल सके। इस तरह से अन्य विषयो पर चर्चा की गई और ग्रामीण लोगो को किस तरह से लाभ मिले इसके लिए मिल कर प्रयास करने पर जोर दिया गया।

5- Coordination planning & Review Meeting of local CSO network

स्थान—रनगुवा, खैरो

दिनांक— 26.11.2015 से 28.11.2015

उद्देश्य— आगामी कार्ययोजना व सार्वजनिक प्रणाली योजना की स्थिति ।

प्रक्रिया— ग्राम मे गठित समूहो/वालेन्टीयर के साथ समुहिक चर्चा।

कुल सदस्य—65 महिला 28 पुरुष 37

दिनांक 26.10.2015 से 28.10.2015 तक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमे ग्राम मे गठित महिला, समूह/युवा, किसान मण्डल के सदस्य शामिल रहे। बैठक मे संस्था पदाधिकारी सुरेश / रामकुमार / कार्यक्रम अधिकारी प्रदीप खरे मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मीटिंग मे कुल 65 प्रतिभागी शामिल हुए। मीटिंग की शुरुआत परिचय सत्र के साथ किया गया जिसमे उन्होंने बताया कि हमारी संस्था विगत 15 वर्षों से लगातार ग्रामीण क्षेत्र मे कार्य कर रही है जिसका मुख्य उद्देश्य शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन करने का प्रयास करना व पात्र हितग्राही को योजना का लाभ मिले लोग अपने अधिकारो की मांग स्वयं करे ऐसा प्रयास करना ।

जिसे महिलाओ का विकास हो उनमें आत्मनिर्भरता आये ग्राम की प्रत्येक महिला को समाजिक सुरक्षा योजना के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ मिले जैसे मुद्धो को मिल कर हल करने का प्रयास करना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बताया कि ग्रामो अक्सर देखने मे आता है कि लोगो को पेशन नही मिल रही पात्र लोगो के नाम बी.पीएल. मे नाम नही राशन नही लि रहा पर्चा नही दी जा रही उसके भी पेसा मांगा जा रहा ऐसे मुद्धो को हल करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया जाये और पात्र लोगो को राशन की पर्ची मिले सभी के राशन कार्ड हो और वह भी महिला के नाम पर वने इसके लिए कार्य करने पर जोर दिया गया।

परिणाम- फेडरेशन के माध्यम से जिला स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्धो को उठाने पर जोर दिया गया साथ ही जो मंगवार की जनसुनवाई मे भी मुद्धो को रखा जाये पर चर्चा की गई।

6- Facilitation of job demand application NAREGA (NB)

स्थान— रनगुवा, कदवा, अतरार, बसाटा, खैरो, कुरा, पिपौराबगा, पिपौराकला, पिपौराखुर्द, गोची, परापट्टी, मनपुरा, वरदाहा,

दिनांक— 01.10.2015 से 30.11.2015 कुल प्रतिभागी 255 महिला 130 पुरुष 125

उद्देश्य— प्रत्येक व्यक्तियों के नरेगा के अन्तर्गत काम मिले और काम का सही दाम मिले को लेकर इस मितिग का आयोजन किया गया।

प्रक्रिया— ग्राम मे गठित समितियों के अवाला जॉव कार्ड धारी को काम का आवेदन दिलाना नरेगा के वारे मे जागरूक करना। आभार महिला समिति द्वारा मनरेगा के अर्न्तगत जन समुदाय को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 ग्रामो मे मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमे संस्था पदाधिकारी सुरेश/दीपक/आषा राय सहित अन्य ग्राम के लोग उपस्थिति रहे किसान

मण्डल, युवा मण्डल एवं नरेगा ग्रुप के सदस्य शामिल हुए। मीटिंग में कुल 255 प्रतिभागी शामिल हुए। जिसमें महिला 130 व 125 पुरुषों ने मीटिंग में जुड़ कर कार्य नरेगा कानून के बारे में जाना व आवेदन की प्रक्रिया की गई। मनरेगा के अन्तर्गत ग्रामीण लोगों को एक जॉबकार्ड पर 100 दिन का काम दिया जाता है। जिससे उन्हें पलायन के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा और ग्राम में ही रोजगार प्राप्त हो सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को आवाष्यकता अनुसार और समय पर काम उपलब्ध कराना है। आगे ज्योति जी ने बताया कि ये एक मांग आधारित काम है जब आपको काम की आवाष्यकता हो तो काम की मांग करे आपको अपने ही ग्राम में काम उपलब्ध कराया जाएगा और यदि आपको ग्राम स्तर पर काम नहीं दिया जाता तो पंचायत से 05 किलो मी० की दूरी के अन्दर काम दिया जायेगा जिसके लिए पूर्ण व्यवस्था ग्राम पंचायत करेगी। इस कानून के अन्तर्गत हर पंजीकृत परिवार को वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार पाने का हक होगा। इसके अन्तर्गत रोजगार न्यूनतम मजदूरी की दर पर दिया जाता है। ग्राम स्तर पर हमेशा एक बात निकलकर आती है ग्राम में रोजगार नहीं है इसलिए हम बाहर पलायन पर जाते हैं। लेकिन यदि वास्तव में देखे तो कोई भी व्यक्ति 100 दिन का कार्य नरेगा में नहीं करता।

अगर वह नियमित 100 दिन इस योजना में कार्य करे वाकी दिन अन्य अपने खेती सम्बन्धि कार्य कर मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं और उसको पलायन भी नहीं करना पड़ेगा पर वह नियमित काम भी नहीं करता न ही कोई जानकारी रखता है जिस कारण उसको हमेशा सरपंच सचिव द्वारा ठगा जाता है। अगर आपको रोजगार चाहिए है इस योजना में तो लिखित आवेदन करना ही पड़ेगा साथ ही अगर काम नहीं मिलता तो मुआवजा चाहिए तो आवेदन की पावती चाहिए अगर आपने यह सब किया तो निश्चित ही आपको ग्राम में ही काम मिलेगा समय पर मजदूरी मिलेगी। आगे निधि जी ने कार्य स्थल पर दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि प्रत्येक कार्य स्थल पर स्वास्थ्य सुविधा, पीने के पानी की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था और यदि महिलाएं काम कर रही हैं और उनका कोई 5 वर्ष से छोटा बच्चा है तो उसके लिए वहां पर झुला खिलोने व बच्चे को देख रेख करने वाले लोग भी होते हैं। कुल 188 काम के आवेदन तैयार कर सरपंच का दिये गये। कार्यक्रम का समापन किया गया और सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया गया।

7- Public hearing on Govt

दिनांक— 3.12.2015 स्थान — छतरपुर — प्रतिभागी— 44 ग्राम —12

उद्देश्य—ग्रामीण जन समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत कराना। ताकी लोगों को योजना का लाभ मिल सके।

प्रक्रिया—लोगों को जन सुनवाई के बारे में बताया गया साथ ही ग्राम के मुद्दों समस्याओं की पहचान की गई। लोगों की समस्याओं के आवेदन तैयार कराये गये तो लोगों को जिला प्रशासन के सामने अपनी बात रखने के लिए तैयार किया गया। समुदाय के साथ मीटिंग चर्चा कर के दस्तावेज तैयार किये गये।

आभार महिला समिति छतरपुर द्वारा दिनांक 3.12.2015 को ब्लॉक छतरपुर में जिला कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया गया जिसमें 12 ग्रामों के कुल 44 लोगों ने अपनी समस्याओं को जिला जन सुनवाई में जिला कलेक्टर/तहसीलदार के सामने रखा। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राम स्तर पर संचालित जन कल्याण कारियोजनाओं का सही क्रियान्वयन न होने व पात्र लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पाने से परेषान ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के सामने रखी अपनी समस्याएं। जिसमें सामाजिक सुरक्षा सार्वजनिक वितरण व सुखा राहत कार्य में किये जा रही गणबडियों से परेषानीयों से प्रशासन को अवगत कराया।

कार्यक्रम में अलग अलग योजनाओं पर लोगों ने अपने आवेदन तैयार किये तथा संस्था के द्वारा मुद्दों को चिन्हित किया गया लोगों को किस तरह से अपनी आवाज को प्रशासन के सामने रखना है उस पर लोगों को तैयार किया लोगों के आवेदन तैयार कराये और लोगों को जिला जिला जन सुनवाई में सामने लाने का प्रयास किया। संस्था द्वारा जिला जन सुनवाई में ग्रामीण जन ने अनेक मुद्दों समस्याओं को रखा जिसमें सुखा राहत कार्य / सामाजिक सुरक्षा/ खादय सुरक्षा के साथ लोगों को ग्राम में परेषानी का हल निकालने के लिए चर्चा विचार किया।

कुल ग्राम	जन सुनवाई कार्यक्रम	लोगों ने समस्या को रखा			जन सुनवाई मुद्दा
12	01	मि. हला	पुरुष 1	कुल	सामाजिक सुरक्षा योजना पी.डी. एस

		14	30	44	सुखा राहत
--	--	----	----	----	-----------

संस्था द्वारा ग्राम की समस्याओं का अध्ययन किया और को 31 षष्ठ पत्र एकत्र किये गये जिसमें 44 लोगो ने अपनी समस्याओं को एक नोट कर प्रशासन को अवगत कराया। लोगो ने बताया की ग्राम में राशन दुकान नियमित नहीं खुलती कोटेदार राशन कार्ड अपने पास रखे हैं काला बाजारी बड़े पैमाने पर की जा रही है। पात्र लोगो को उनका पूरा हक नहीं दिया जा रहा वही कोटेदार ग्राम में नहीं रहता कोई सयम सीमा नहीं है की दुकान कब खुलना है। तेल में पानी मिलाया जा रहा है। जिले के तमाम लोग खाद्य सुरक्षा योजना से परेशान हैं। वही आज भी कई परिवारों के पास नहीं है राशन कार्ड आवेदन किये हो गये महिनो। पेंशन की बात की जाये तो दर्जनो वर्द्ध महिला/विधवा/निराश्रित लोगो को पेंशन का लाभ नहीं मिल

रहा जबकि उनके द्वारा कई बार आवेदन दिये जा चुके हैं साथ ही ग्राम में ऐसी भी महिलाएं हैं जिनका नाम पेंशन सूची में दर्ज है। पर पंचायत के लोग बोल रहे की अभी आपकी पेंशन मंजूर नहीं हुई। ग्राम हिमनतपुरा के नोनी वाई भूरे लाल ने बताया की हमने सरपंच को आवेदन दिया था पर आज तक उस का कुछ नहीं हुआ वही पेंशन नियमित नहीं मिल रही। परापट्टी के जगदीश ने बताया की यहाँ पर कोई काम नहीं चल रहा और सरपंच सचिव दोनों लोग गाँव में नहीं रहते और कोई उनके खिलाफ बात नहीं कर सकता नहीं तो उसकी खेर नहीं है क्योंकि वह दाउ साहब है। जिस कारण आज भी लोग नरेगा/समाजिक सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित हैं या उनके ही पसन्द के लोगो का लाभ मिल रहा है।

जिला सुनवाई कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम के लोगो ने प्रशासन के सामने अपनी समस्याओं को रखा तथा अधिकारियों ने सम्बन्धित विभाग के अधिकारों से इन समस्याओं को चिन्हित करने के साथ कार्यवाही करने के लिए बेला और आश्वासन दिया की जल्द ही कार्यवाही की जायेगी और लोगो को उनका हक मिले यही प्रशासन व शासन चाहता है।

परिणाम— ग्रामीण लोगो को मुद्दों की समझ वनी लोगो ने अपनी बात को स्वयं आ कर जिला प्रशासन के सामने रखा व आवेदन दिये। साथ ही प्रशासन को भी ग्राम की वास्तविक स्थिति की जानकारी हो सकी। लोगो ने अपनी बात रखने की हिम्मत व होसला आया और लोग ब्लाक तक आये।

8-Federation/CBOs conveyantion

स्थान— छतरपुर

दिनांक—16.12.2015

उद्देश्य— फेडरेशन के माध्यम से ही आगामी रणनीति तैयार करना व जिला ब्लाक स्तर पर संघन भूमिका के रूप से कुछ लोगो की जववा देही देखना।

प्रक्रिया—कार्यक्रम में फेडरेशन के गठन, सदस्यता, आवश्यकता आगामी रणनीति, अध्यक्ष/सचिव को लेकर सामूहिक रूप से विचार विमर्श कर आगामी कार्ययोजना तैयार की गई।

आभार महिला समिति द्वारा दिनांक 16.12.2015 को आभार महिला समिति छतरपुर द्वारा छतरपुर में फेडरेशन के प्रमुख प्र. तिनधियो एवं पदाधिकारियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें कुल 85 लोगो की सहभागिता रही कार्यक्रम में कुल 41 महिला व 44 पुरुष साथियों के अलावा सुरेश, आषा राय, दीपक, राम कुमार, रामाधीन, प्रदीप खरे, के अलावा अध्यक्ष प्रभाति खरे व सचिव कल्पना सिंह सहित अन्य लोग भी उपस्थित हुये। कार्यक्रम का परिचय देते हुये कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदीप जी ने बताया कि आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्राम में गठित समितियों समूहों के अध्यक्ष सचिव के सदस्यों का चयन जिला स्तर के फेडरेशन के लिए किया जा चुका है और अब फेडरेशन के माध्यम से ही आगामी रणनीति तैयार की जायेगी और जिला ब्लाक स्तर पर उनकी भूमिका संघन रूप से रहेगी। इसलिए ही आज इस बैठक का निर्णय लिया गया ताकी फेडरेशन की आगामी रणनीति तय हो सके।

प्रदीप जी ने बताया की हम आप सभी जानते हैं की ग्राम में गठित समिति समूहों के द्वारा गठित किये गये बुन्देल खण्ड एकता विकास मंच फेडरेशन को आपके के माध्यम से ही संचालित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य भी आप सभी जानते हैं कि यह फेडरेशन इसलिए ही बनाया गया था कि आजिविका परियोजना के तहत लोगो का एक संगठन हो जो लोगो की आवाज जिला ब्लाक स्तर तक उठाये साथ ही ग्राम के ऐसे परिवारों की मदद भी करे जो गरीब हैं बेसहारा हैं। जिसके तहत अभी तक हम लोगो ने काफी कार्य भी किया है और लोगो को रोजगार के साथ शासन की तमाम योजनाओं से जोड कर लोगो की आजिविका तय की है। जिसका ही उदाहरण है कि आज हम लोग इस मजबुती के साथ जुड कर कार्य कर रहे हैं लोगो का सोचना है कि हम लोग कुछ और आगे बढे ताकी लक्ष्य समुदाय से आगे के लोगो को भी फेडरेशन का फायदा हो और ग्राम के लोग और सक्षम होकर कार्य कर सके।

आगे रामकृपाल पटेल ने अपनी बात को रखते हुए कहा कि अभी हम सभी किसानों की सबसे बड़ी समस्या ओला वृष्टि है जिसके कारण हमारी फसल खराब हो गई जिस कारण जो किसान लोग हैं उनके सामने तो ये बहुत ही परेशानी का समय है। इसको लेकर हमें सोचने और विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। जिस पर प्रदीप जी ने कहा कि अभी माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा ओलावृष्टि द्वारा प्रभावित किसानों का सर्वे किया जाना है जिसमें हमारी सबसे पहली भूमिका यह रहेगी कि जो भी एवं किसान हैं जिनकी फसल वास्तव में खराब हो गई है उसका सही सर्वे कराये साथ ही इस परेशानी के समय में जो भी संस्था एवं फंडेशन के अन्तर्गत मदद की आवश्यकता होगी हम सभी लोग करेंगे। आगे प्रभाति जी ने अपनी बात को रखते हुए कहा कि फसल बरबाद होने से आप लोगों की जो समस्या हुई है उसको लेकर हम अपने यहां भोपाल स्तर पर भी बात करेंगे साथ ही इस समस्या से निपटने एवं राहत सम्बन्धित अन्य कार्यक्रमों को संचालित करने की बात रखेंगे। साथ ही किसानों ने अपनी बात को रखते हुए कहा कि यदि इस तरह की कोई सहायता उपलब्ध कराई जाती है तो किसानों को बहुत राहत मिल सकेगी।

दिनांक	स्थान	शामिल ग्राम	कुल मिटिंग	कुल प्रतिभागी	महिला/पुरुष
16.12.2015	छतरपुर	15	01	85	41/44

सभी के विचार चर्चा के बाद तय किया गया कि फंडेशन लोगों की आवश्यकता को देखते हुये मुद्दा आधारित कार्य तय करेगा वहीं सभी ने तय किया कि इस बार कार्यक्षेत्र में जो भी लक्ष्य समुदाय के किसान ओला प्रभावित हैं उन सभी की सूची तैयार कर सर्वे कराना है साथ ही उनको मुआबजा दिलाना है।

परिणाम—फंडेशन की माध्यम से आवश्यकता और प्राथमिकता को देखते हुए रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाये।

फंडेशन के माध्यम से प्रयास किया जाये कि खादूय बीज के लिए लोगों को परेशान न होना पड़े तथा किसानों को समय पर ये सुविधाएं मिल सकें। वहीं बैंक द्वारा लोगों को लोन आदि की व्यवस्था कि जाये तो और अधिक मजबूती फंडेशन को मिल सकेगी। साथ ही ग्राम के एक लक्ष्य को ही सीमित न किया जाये बल्कि पूरे ग्राम विकास के लिए प्लान तैयार किया जाये।

प्रदीप जी ने सभी से विचार चर्चा की और तय किया गया कि लोगों को रोजगार के लिए हम निरन्तर प्रयासरत हैं वहीं महिलाओं को हम प्राथमिकता से देखते हैं और खादूय बीज के लिए संस्था द्वारा पहले से प्रयास जारी है पर कुछ आर्थिक व संस्था स्तर पर इस को करने के लिए समस्या है क्योंकि यह कार्य धन्धा में आते हैं और संस्था निस्वार्थ बिना किसी भेदभाव से आप लोगों के साथ कार्य कर रही हैं, इसलिए इसे नहीं किया गया है। पर और कोई करना चाहते हैं तो संस्था उसमें पूरा सहयोग प्रदान करेगी। और जो मुद्दे हैं वह फंडेशन की सीमा में आते हैं तो आप लोगों का जो निर्णय होगा वह हम सभी आम सहमति से मानेंगे। इसी के साथ सभी का आभार व्यक्त कर कार्यक्रम का समापन किया गया।

Gender mainstreaming

4.1 Tracking of PDS and MDM and 0 To 6 years children (New Activity) (NB)

स्थान— रनगुवा, कदवा, अतरात, बसाटा, खैरो कुर्रा

दिनांक— 1.12.2015 से 6.12.2015

उद्देश्य— 0 से 6 साल तक के बच्चों को नियमित पोषण गुणवत्ता के साथ मिले महिलाओं को आगनवाडी केन्द्र का लाभ दिलाना

Defenation-आभार महिला समिति द्वारा उक्त दिनांक 01.12.2015 से 06.12.2015 में ग्राम कुर्रा, बसाटा खैरो अतरात कदवा, रनगुवा, में मध्याह्न भोजन की निगरानी को लेकर एक-एक दिवसीय समुदायिक बैठक का आयोजन किया गया साथ ही विद्यालय में जाकर भोजन की गुणवत्ता, वितरण और मात्रा को लेकर निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान लोगों ने बातया मध्याह्न भोजन वितरित की हालत ऐसी है कि कोई भी बच्चा भोजन नहीं करना चाहता वह भोजन जानवरों को खिला देते हैं यह हाल है ग्राम पिपरोखुर्द का वहीं बगा में कभी नियमित भोजन वनता ही नहीं है। स्कूल में भोजन वितरित होने या न होने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि कि हमारे पर अधिकांश बच्चे उस खाना को खाते ही नहीं हैं

आगे स्कूल में निरीक्षण के दौरान पाया कि स्कूल का भोजन एक के द्वारा बनाया जाता है। साथ ही स्कूल में मीन्यू के अनुसार मध्याह्न भोजन वितरित नहीं किया जाता है। स्कूल में बच्चों ने बताया कि हमारे यहां पर केवल दाल चावल और सब्जी रोटी

ही दी जाती है। उसमें पानी ज्यादा रहता है सब्जी कम रोटी भी गिन कर आती है। नास्ता दिया ही नहीं जाता खाने में अक्सर कंकड़ और कीड़े निकलते हैं जिसके कारण बच्चे खाना नहीं खाते हैं। पीने का पानी नहीं है बच्चों भोजन के बाद पानी पीने घर जाते हैं। निरीक्षण में देखा गया कि बच्चों के खाने के लिए स्कूल में वर्तन तो उपलब्ध है लेकिन उनका उपयोग बच्चों के लिए नहीं किया जाता है।

स्कूल प्रबंधन से जब मध्याह्न भोजन को लेकर बात की गई तो उन्होंने बताया कि अब हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है ये सारा काम अब समूह के लोग देखते हैं। साथ ही साफ सफाई और वितरण व्यवस्था को लेकर हम भी कई बार समूह से बात करते हैं साथ ही अब पहले की अपेक्षा मध्याह्न भोजन वितरण में काफी सुधार हो गया है। समूह संचालकों से बात की गई तो लोगों को कहना था कि मध्याह्न भोजन व्यवस्था लेने के लिए हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं तब कहीं मध्याह्न भोजन का काम मिला है। कुछ कमियां तो रहेगी क्योंकि अभी भी कमिशन लगता है तो कैसे करे सही काम आप बताये। आगनवाड़ी का भी निरीक्षण किया गया जिसमें निकलकर आया कि आगनवाड़ी बच्चों एवं महिलाओं को पोषण आहार वितरित किया जाता है। आगनवाड़ी कार्यकर्ता ममता /पुष्पा दुवे जी ने बताया कि आगनवाड़ी में नाश्ता और खाना दोनों ही समूह के द्वारा वितरित किया जाता है। खाने की गुणवत्ता और वितरण व्यवस्था को लेकर हम लोगों ने भी कई बार कहा है लेकिन इस पर उनका कहना रहता है कि हमें जैसा बनाने के लिए बजट मिलता है उसी आधार पर हम बनाते हैं इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। साथ आगनवाड़ी केन्द्र की गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं से चर्चा की गई जिस पर उन्होंने बताया कि हमारे यहां पर जो लोग आगनवाड़ी केन्द्र आते हैं उनका नियमित टीकाकरण और पोषण आहार वितरण किया जाता है।

परिणाम—काम के दौरान पाया गया कि व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है पर यह प्रक्रिया बहुत ही धीरे से चल रही है वही प्रशासन द्वारा भी उस तरह का सहयोग नहीं मिल पा रहा जिस कारण समूह सदस्य सही रूप से कार्य नहीं कर पा रहे। 5 स्कूलों में व्यवस्था में सुधार हुआ है जिसमें संस्था द्वारा संचालित समूह कार्य कर रहे हैं।

4.2 Training of Women leadership building

स्थान— परापट्टी/छतरपुर

दिनांक—10.12.2015

उद्देश्य— महिला कानून के साथ महिलाओं में लीडरशिप की क्षमता को विकसित करना ।

कुल प्रतिभागी 28 महिला 19 पुरुष 11

आभार महिला समिति छतरपुर द्वारा दिनांक 10/12/2015 को छतरपुर में कासा परियोजना के सहयोग से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें संस्था अध्यक्ष प्रभाति खरे, कार्यक्रम अधिकारी प्रदीप खरे, सुरेश, आषा राय, दीपक, रामकुमार सहित कुल 28 प्रतिभागी शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारम्भ प्रदीप खरे जी द्वारा किया गया जिसमें उन्होंने अपना वं संस्था का परिचय बताते हुए कहा कि हमारी संस्था आभार महिला समिति विगत 15 वर्षों से जिले में कार्य कर रही है। वर्तमान समय में हमारा कार्य छतरपुर जिले की 15 पंचायतों के 17 ग्रामों में चल रहा है। जिसमें हम महिला अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार प्रशिक्षण, अधिकार आधारित, समूह गठन जैसे कार्य संस्था द्वारा किये जा रहे हैं। संस्था द्वारा समय समय पर ग्राम एवं जिला स्तर पर कार्यशाला, बैठक, सम्मेलनों को आयोजन किया जाता है जिससे लोगों में जागरूकता आये और वे अपने अधिकारों को पा सकें। इसी क्रम में आज इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य कामगार महिलाओं को रोजगार के बारे में जानकारी देना साथ ही रोजगार कहां से कैसे मिल सकते हैं और कौन सी सुविधाएं शासन द्वारा दी जाती हैं इन सभी बातों को लेकर आज की कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

आगे प्रभाति जी ने बताया कि आज के समय हर परिवार के पास सबसे बड़ी समस्या अपने घर को चलाने, अपने परिवार के लिए मूलभूत सुविधाओं को जुटाना है और इन सबके लिए पैसे सबसे ज्यादा जरूरी हैं। और हमारे यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को काम करने के लिए बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती है उन्हें केवल घर के कामों तक ही सीमित रखा जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है महिलाएं भी पुरुषों के साथ आगे बढ़ने लगी हैं और वे भी परिवारिक आय में वृद्धि एवं अपने घर को अच्छे से चलाने के लिए बराबरी से काम करती हैं।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से संस्था द्वारा बहुत से प्रयास किये जा रहे हैं जैसे समूह गठन एवं किचिन गार्डन आदि। अभी उद्योग विभाग में फाईनेंस को लेकर योजना आई है जिसमें ग्रामीण महिलाओं को लोन दिया जाता है और उसमें छूट भी दी जाती है। जिससे कि हितग्राही अपना कोई स्वरोजगार शुरू कर सके। बैसे तो आप लोग कई बार मिले और जानते हैं कि हमारी संस्था फाईनेंस को लेकर कार्य नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर ग्रामीण आवश्यकता को देखते हुए संस्था द्वारा तय किया गया है कि हमारे समूह की 2-3 महिलाओं को उद्योग विभाग से लोन पास कराया जाए और उस पैसे से कोई एक बड़ा काम शुरू किया जाए जिसमें सभी महिलाएँ जुड़कर काम करें।

कोशिया आदिवासी ने कहा कि समूह के जिस भी सदस्य पर लोन पास होगा वह पूरे समूह के काम में क्यों लगायेगा। जिस पर प्रभाति जी ने कहा कि सबसे पहले तो हमें अपने मन में एक दूसरे के सहयोग एवं मिलकर कुछ काम करने की इच्छा बढ़ानी होगी। वही आज उद्योग विभाग द्वारा 5 वी पास के महिला पुरुषों को 2 लाख से 25 लाख तक का लोन दिया जा रहा है पा आज आवश्यकता है कि हम पहले स्वयं तय करें कि हमें क्या करना है और उसका बजार की स्थिति क्या लोन संस्था पास करा देगी लोग व्यक्तिगत होगा सकता है और समूह के माध्यम से भी कार्य किया जा सकता है। काम को शुरू करने के बाद जो भी आय होगी उससे सबसे पहले बैंक की किश्त चुकाई जाएगी और उसके बाद जो भी आय हो वह हितग्राही स्वयं रखे। इस काम करने में दो लाभ हैं इससे एक बड़ा काम आपके ग्राम में शुरू हो जाएगा और दूसरा जो महिलाएँ अपने समूह में जुड़ी हैं उन्हें भी हमेशा के लिए एक आय का जरिया मिल जाएगा। जिस पर सभी ने अपनी-अपनी सहमति देते हुए लोन दिलाने के लिए आगे की रणनीति तय की गई। और 3 लोगों को लोन के आवेदन कराये गये।

इसी के साथ सभी का आभार व्यक्त कर मीटिंग का समापन किया गया।

4.3 Workshop on NRHM and its provision on access to health

स्थान— ईसानगर

दिनांक— 21.12.2015

उद्देश्य— — ग्रामीण जन समुदाय को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति पर चर्चा व समाधान।

कुल प्रतिभागी 55 महिला 36 पुरुष 19

आभार महिला समिति छतरपुर द्वारा दिनांक 21.12.2015 को स्वास्थ्य केन्द्र ईसानगर के पदाधिकायों तथा ग्राम समुदाय के लोगों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें स्वास्थ्य केन्द्र के बी.एम.ओ श्री साहू जी तथा डा. यादव जी व अन्य कार्य क्षेत्र का स्टाफ उपस्थित रहा। जिसमें 8 ग्राम के 44 लोगों ने सहभागिता की। जिसमें 24 महिला 20 पुरुष शामिल हुए।

कार्यक्रम का संचालन प्रदीप खरे जी ने किया उन्होंने बताया कि आप भी जानते हैं कि आभार महिला समिति छतरपुर विगत पिछले 15 वर्ष से इसी कार्य क्षेत्र में समाज विकास व जनकल्याण के लिये कार्य कर रही है जिसमें लोगों को आजीविका के साथ उनके स्वास्थ्य शिक्षा बेरोजगारी के अलावा महिला सशक्तिकरण को लेकर कार्य किया जा रहा है। जिसमें ब्लॉक छतरपुर की 15 पंचायतों कार्य किया जा रहा है। आगे उन्होंने बताया कि कार्य के दौरान देखने में आता है कि ग्राम स्तर पर महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधायें नहीं मिल पा रही अधिकतर महिलाएँ खून की कमी के साथ अन्य बीमारी से ग्रस्त हैं वही परिवार नियोजन कार्यक्रम में महिलाओं को सही जानकारी न होने के कारण महिला नसबंदी केस की संख्या कम हो रही है।

हम जननी सुरक्षा योजना की बात करें तो समय पर वाहन नहीं आता यह बात कई बार व आपके स्टाफ भी देख चुका है। पैसा मांगा जाता है जननी सुरक्षा की राशि समय पर नहीं मिलती साथ ही उसमें भी चेंक तभी मिलती है जब 100 से 200 रुपये लग जाते हैं बच्चों के टीकाकरण की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि मध्यप्रदेश में भी जिला का 6 नम्बर आता है और टीकाकरण नहीं हो रहा समय पर। किसी तरह की कोई दवा नहीं मिल रही किसी किसी ग्राम में आषा के दर्शन नहीं जिससे ग्राम में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल खराब है।

बी. एम. ओ. श्री साहू जी ने बताया कि आपने बताया कि यह बात सच है कि महिलाओं की स्थिति खराब है वह अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह तो हैं ही साथ ही खून की कमी लिकोरिया धात की बीमारी आम समस्या है रही बात जननी सुरक्षा

योजना की तो वाहन एक है और क्षेत्र बड़ा होने से कभी कभी यह समस्या आती है। पर और ग्राडीयो को लगाया जा रहा है। कुछ ग्रामो में आषा कार्य ठीक से नहीं कर रही है इसके लिए जिला शिकायत जिला स्तर पर की गई और आने वाले समय पर उनको बदला जायेगा जिसे कुछ सुधार होगा। कुपोषण एक आम बात है जैसा की आपने बताया कि हम भी मानते हैं पर इसके लिए लोग स्वयं जिम्मेदार हैं। क्योंकि आप लोग भी जब कैसे भेजते हैं हितग्राही एक यो दो दिन रुकता है और भाग जाता है जिस कारण लोगों को पुरा लाभ नहीं होता जबकी स्वास्थ्य केन्द्र पूरा ईलाज मुक्त दे रहा है पर ग्राम का आम आदमी नहीं रुक रहा इसके लिए आप लोग प्रयास करें।

परिणाम—आषा व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने कहा की आप और हम मिलकर महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए ठोस कदम उठायेगे साथ ही महिलाओं को योजनाओं का पूरा लाभ मिले व स्वास्थ्य केन्द्र पर सुविधा मिले सके इसके लिए ठोस कदम उठाये जायेग।

4.4 Block level Women convention

स्थान— छतरपुर

दिनांक— 25.12.2015

उद्देश्य— कार्य स्थल पर हिंसा व महिला हिंसा के साथ महिला अधिकार व महिलाओं द्वारा समाज में किये गये ठोस प्रयास।

प्रक्रिया— आज दिनांक 25.12.2015 को ग्राम छतरपुर में आभार महिला समिति द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें संस्था अध्यक्ष प्रभाति खरे जी एवं संस्था कार्यकर्ता सुरेश कुमार जी, रामकुमार यादव, दीपक मिश्रा, एवं आषा राय तथा ग्राम के 75 लोग शामिल हुए। जिसमें महिला 39 पुरुष 36

कार्यक्रम का शुभारम्भ परिचय सत्र के साथ शुरू किया गया। मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम अधिकारी प्रदीप खरे जी ने अपनी संस्था का परिचय कराते हुए बताया कि हमारी संस्था विगत 15 वर्षों से 17 ग्रामों में सामाजिक विकास गरीब वरोजगार एवं असहाय लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है।

प्रभाति खरे जी ने सभी का आभार व्यक्त किया और बताया कि आज की मीटिंग मुख्य रूप से महिला अधिकार और महिलाओं के लाये गये कानून के साथ महिलाएं आज किस तरह से देश समाज का नाम रोषन कर रही हैं हमें सोचने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे यहाँ लोग बेटियों को पढ़ने नहीं भेजते साथ ही उनकी सोच है कि पढ़ लिख कर क्या करेगी। हमें यही सोच बदलना है ताकी हमारी बेटी भी हमारे घर का नाम रोषन करे और परिवार का सहारा बने और अब किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार ने बहुत कानून हमारी सुरक्षा के लिए बनाये हैं पर आवश्यकता है की हम वह जाने तथा अपने ऊपर हाने वाली किसी भी हिंसा की आवाज उठाये और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिला कर महिलाओं को इनसाफ दिलाये। आगे उन्होंने महिला हिंसा व कार्य स्थल पर होने वाली हिंसा के बारे में बताया साथ ही अगर कोई हिंसा का केस हो या अन्य कोई समस्या है तो हमें फोन करे हम आप लोगों की पूरी सुरक्षा के लिए हर सम्भव प्रयास करेंगे। प्रभाति जी ने बताया कि घरेलू हिंसा भी इसी प्रकार की एक हिंसा है जिसमें शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, मौखिक व भावनात्मक हिंसा और यौनिक हिंसा होती है। शारीरिक हिंसा जैसे महिला के साथ मारपीट करना, थप्पड़ मारना, षरीर पर काटना और शरीरिक रूप से चोट पहुँचाना शारीरिक हिंसा कहलाती है। मौखिक हिंसा के अन्तर्गत वे सब बातें आती हैं जिससे किसी भी व्यक्ति को अपमानित करना मानसिक रूप से परेशान किया जाना ऐसी और बातें हैं जो घरेलू हिंसा के अन्तर्गत आती हैं जैसे भ्रद्धा मजाक करना किसी को देख कर उल्टी व गन्दी बातें बोलना दहेज जबर जस्ती करना आदि। और इन बातों का रखे ध्यान अगर किसी महिला के साथ हिंसा हो तो वह सबसे पहले यह करे अपने परिवार या किसी रिस्तेदार को बताये जिसे वह अपना करीबी मानती हो थाने में जा कर एफआईआर कराये डाक्टरों जाचें किसी एम.बी.बी.एस कराये जब तक जाचें न हो तक पीडिता साक्ष्यों को सबूतों का मिटने न दे न नहाये न ही कपड़े बदले न धोये वही पीडिता मद के लिए गोरवी महिला सम्मान और संरक्षण अभियान को उक्त नम्बर पर फोन कर के मदद ले सकती है। 18002332244 पर सम्पर्क कर जानकारी दर्ज कराये। देश /मध्यप्रदेश में महिलाओं की दिन प्रति दिन कम होती जनसंख्या को देख कर कई नियम कानून लागू किये गये हैं जिसमें अधिनियम वर्ष 2005 एक मुख्य महिला अधिकार कानून है अगर महिला बच्चे साथ हिंसा की जाती है तो महिला अपनी शिकायत महिला बाल विकास अधिकारी के पास कर सकता है। रामकली अहिरवार ने पूछा कि इसकी शिकायत और कहाँ की जा सकती है। जिस पर ज्योति जी ने बताया कि इसी शिकायत महिला बाल विकास अधिकारी या नजदीकी थाने

पुलिस अधिकारी और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के पास शिकायत करती है औरलोग परिवार का सदस्य द्धोसी पाया जाता हैतो सजा के साथ 20000रु0 तक का जुर्माना लगायाजा सकता है।

पीडित महिला के लिए आश्रय गृह चिकित्सा विधा कानूनी जैसी सुविधाएँ शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है पीडित महिला के रहने के लिए आश्रय गृह की व्यवस्था भी की जा सकती है। कार्य[म से लोगो ने जाना की हिसां क्या है तथा किस तरह के प्रावधान है इसी तरह से कार्य स्थल पर होने वाली हिसा के लिए भी सहायता ले सकते है

परिणाम— महिलाओ ने कानूनों को जाना व उनकी समझ विकसीत हुई वही महिलाओ का बेटियो के प्रति एक नई दिषा मिली की बेटिया भी परिवार का सहारा हो सकती वह भी आगे पढा कर समाज देश के लिए कार्य कर सकती है।

4.5 Legal aid camp on domestic violence

स्थान— छतरपुर

दिनांक— 28.12.2015

उद्देश्य— महिला अधिको के प्रति जागरुकता साथ ही कार्य स्थल पर होने वाली हिंसा के प्रति समझ विकसित करना।

प्रक्रिया- ग्राम गठित महिला समूह आषा आगनवाडी कार्यकर्ता लीडर के माध्यम से समूह चर्चा विचार।

कुल प्रतिभागी 70 महिला 45 पुरुष 25

आभार महिला समिति द्वारा दिनांक 28.12.2015 को ग्राम छतरपुर मे घरेलू हिंसा पर कानूनी सहायता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमे संस्था कार्यकर्ता सुरेश कुमार जी, रामकुमार यादव, दीपक मिश्रा, एवं आषा राय कार्यक्रम अधिकारी प्रदीप खरे, प्रभाति खरे, ग्राम वासियो उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारम्भ परिचय सत्र के साथ किया गया जिसमे प्रदीप जी ने अपना परिचय देते हुए संस्था के कायी के बारे वताया की महिला सशक्तिकरण /जागरुक और सशक्त करने के उद्देश्य से ग्राम स्तर पर मीटिंग, बैठको और शिविरो का आयोजन किया जाता है। साथ ही इन कार्यक्रमो का मुख्य उद्देश्य लोगो को शासन द्वारा संचालित योजनाओ के बारे मे जानकारी देना और योजनाओ से जोडना है जिससे लोगो को अपने अधिकार मिले और पात्र हितग्राही तक योजनाओ की पहुँच सके।

आज की मीटिंग का उद्देश्य जन समुदाय को महिला संरक्षण एवं महिला नीतियो के साथ कार्य स्थल पर महिलाओ के साथ हाने वाली हिंसा के बारे सामूहिक चर्चा ताकी समाज मे महिलाए आत्मनिर्भर हो कार्य कर सकें और हिंसा के प्रति आवाज उठा सकें। प्रभाति जी ने बताया कि घरेलू हिंसा भी इसी प्रकार की एक हिंसा है जिसमें शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, मैखिक व भावनात्मक हिंसा और यैनिक हिंसा होती है। शारीरिक हिंसा जैसे महिला के साथ मारपीट करना, थप्पड मारना, शरीर पर काटना और शरीरिक रूप से चोट पहुँचाना शारीरिक हिंसा कहलाती है। मैखिक हिंसा के अन्तर्गत वे सब बाते आती है जिससे किसी भी व्यक्ति को अपमानित करना मानसिक रूप से परेषान किया जाना ऐसी और बाते है जो घरेलू हिंसा के अन्तर्गत आती है जैसे भद्दा मजाक करना किसी को देख कर उल्टी व गन्दी बाते बोलना दहेज जबर जस्ती करना कार्य स्थल पर इसी तरह की वाते या छेड छाड जैसे विषय को जानना आवष्यक है साथ ही ऐसा कार्य करने वालो के विरुध आवाज उठाना उस भी ज्यादा जरुरी है। अगर किसी महिला के साथ हिंसा हो तो वह सबसे पहले यह करे।अपने परिवार यो किसी रिस्तेदार को वताये जिसे वह अपना करीबी मानती हो थाने मे जा कर एफआई आर कराये डाक्टरी जाचें किसी एम.बी.बी.एस कराये जब तक जाचें न हो तक पीडिता साक्ष्यो को सबुतो का मिटने न दे न नहाये न ही कपडे बदले न धोये वही पीडिता मदके लिए



गोरवी महिला सम्मान और संरक्षण अभियान को उक्त नम्बर पर फारे कर के मदद ले सकती है। 18002332244 पर सम्पर्क कर जानकारी दर्ज कराये।

देश / मध्य प्रदेश में महिलाओं की दिन प्रति दिन कम होती जनसंख्या को देख कर कई नियम कानून लागू किये गये हैं जिसमें अधिनियम वर्ष 2005 एक मुख्य महिला अधिकार कानून है अगर महिला बच्चे साथ हिंसा की जाती है तो महिला अपनी शिकायत महिला बाल विकास अधिकारी के पास कर सकता है। रामकली अहिरवार ने पूछा कि इसकी शिकायत और कहां की जा सकती है। जिस पर ज्योति जी ने बताया कि इसी शिकायत महिला बाल विकास अधिकारी या नजदीकी थाने पुलिस अधिकारी और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के पास शिकायत करती है और लोग परिवार का सदस्य द्वासी पाया जाता है तो सजा के साथ 20000 रु० तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

पीडित महिला के लिए आश्रय गृह चिकित्सा विधा कानूनी जैसी सुविधाएँ पासन द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है पीडित महिला के रहने के लिए आश्रय गृह की व्यवस्था भी की जा सकती है। कार्यक्रम से लोगो ने जाना की हिंसा क्या है तथा किस तरह के प्रावधान है इस कानून में इस के बाद कार्यक्रम का समाप्ति किया गया जिसमें कमलेश जी ने सभी का आभार व्यक्त किया।

परिणाम—महिलाओं की समझ विकसित हुई महिलाओं ने कार्य स्थल पर हाने वाली हिंसा के बारे में भी जाना साथ ही स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाली आषा आगनवाडी कार्यकर्ता सुखा समिति के सदस्यों को पुलिस सहायता संरक्षण अधिकारी के नम्बर व अन्य जानकारी उपलब्ध कराई गई।

women violence mitigation Campaign

दिनांक— 26 / 12 / 2015

स्थान— रनगुवा

कुल प्रतिभागी 80 महिला 55 पुरुष 25

उद्देश्य—महिला कानून व महिला अधिकारों पर समझ विकसित करना।

प्रक्रिया— समूह चर्चा व्यक्तिगत उद्घोषण पोस्टर वेन के माध्यम से कार्यक्रम का संचालन करना।

आभार महिला समिति छतरपुर द्वारा दिनांक 26.12.2015 को रनगुवा में women violence mitigation Campaign कार्यशाला का आयोजन किया गया। संस्था अध्यक्ष प्रभाति खरे संस्था कार्यकर्ता सुरेश कुमार जी, रामकुमार यादव, दीपक मिश्रा, एवं आषा राय कार्यक्रम अधिकारी प्रदीप खरे, प्रभाति खरे, ग्राम वासियो उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रभाति जी ने बताया कि महिला हिंसा के बारे में आप सब को पहले भी जानकारी दी गई पर कुछ लोग नये हैं इसके लिए चर्चा करना आवश्यक है कि महिला हिंसा है क्या कार्य स्थल पर हिंसा किस तरह से हो सकती है। और उसे कैसे रोका जाये और आये दिन महिलाओं के हो रहे शोषण एक बड़ी समस्या बनती जा रही है हमारे समाज में प्रदेश में महिला संरक्षण एवं महिला नीतियों के साथ कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ हाने वाली हिंसा के बारे सामूहिक चर्चा ताकी समाज में महिलाएं आत्मनिर्भर हो कार्य कर सकें और हिंसा के प्रति आवाज उठा सकें। प्रभाति जी ने बताया कि घरेलू हिंसा भी इसी प्रकार की एक हिंसा है जिसमें शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, मैखिक व भावनात्मक हिंसा और यौनिक हिंसा होती है। शारीरिक हिंसा जैसे महिला के साथ मारपीट करना, थप्पड़ मारना, शरीर पर काटना और शरीरिक रूप से चोट पहुँचाना शारीरिक हिंसा कहलाती है। मैखिक हिंसा के अन्तर्गत वे सब बातें आती हैं जिससे किसी भी व्यक्ति को अपमानित करना मानसिक रूप से परेशान किया जाना ऐसी और बातें हैं जो घरेलू हिंसा के अन्तर्गत आती हैं जैसे भद्दा मजाक करना किसी को देख कर उल्टी व गन्दी बातें बोलना दहेज जबर जस्ती करना कार्य स्थल पर इसी तरह की बातें या छेड़ छाड़ जैसे विषय को जानना आवश्यक है साथ ही ऐसा कार्य करने वालों के विरुद्ध आवाज उठाना उस भी ज्यादा जरूरी है। और अगर किसी महिला के साथ कोई घटना घटती है तो आवश्यक है कि आप सबसे पहले शिकायत करे परिवार में बताये पर कार्यवाही जरूर करे नहीं तो लोगो के होसले बुलं हो जाते हैं और वह यही घटना को आगे भी अन्जाम दे सकते हैं इसलिए आवश्यक है कि कार्य वाही जरूर करे।

प्रदीप जी ने बताया की आज जिले में महिला स्वास्थ्य की बात करें तो हम आप सभी जानते हैं कि हमारी महिलाएँ किस तरह से पति परमेश्वर के वाद ही खाना खाती हैं उसके बाद भी भर पेट भोजन नहीं लेती साथ ही महिलाओं उसके बाद परिवार में लड़कें की चाह के कारण एक महिला 5 से 6 बच्चों को जन्म देती है वही अक्सर देखा गया है कि ग्रामीण महिलाओं को लिकोरिया की बीमारी अधिक पड़ी जा रही है यह आकड़े स्वास्थ्य विभाग बता रहा है वही खून की कमी अत्यधिक है महिलाओं में क्योंकि उनको पोषण युक्त भोजन नहीं मिलता भर पेट खाना नहीं खाती महिलाएँ जिसके कारण जिले में देखें तो शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो जिले में 1000 लड़कों के जन्म पर 918 लड़कियाँ जन्म लेती हैं इसका भी यही कारण है कि महिला हिया कम उम्र में पाली कुपोषण खून की कमी जिसके कारण आज महिलाओं की प्रति दिन संख्या कम रही है महिलाओं को बचाना है तो हम समाज के लोगों को भी कुछ प्रयास करने होंगे जिससे महिलाओं की योजनाओं में भागेदारी बढ़े और महिलाओं को योजना का लाभ मिल सके। जैसे खाद्य सुरक्षा योजना/आंगनवाड़ी केन्द्र के साथ स्वास्थ्य विभाग मुख्य रूप से शामिल है। जिसके अन्तर्गत महिलाओं ताम्र सुविधाएँ दी जा रही हैं जिनके लिए हम सब को प्रयास करने होंगे कि महिलाओं का बेहत स्वास्थ्य के साथ जी सके।

इसके लिए प्रत्येक ग्राम में पोस्टर /वेनर लगाये गये और संदेश दिया गया कि शिशु को माँ का दुध अवश्य पिलाये प्रसव चिकित्सालय में कराये साथ ही राष्ट्रीय खाद्य योजना 2013 के तहत 6000 की आर्थिक सहायता दिलाये व आंगनवाड़ी केन्द्र से छः माह तक निःशुल्क राशन पाये। व स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाये साथ ही जननी सुरक्षा व अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का भी लाभ ले।

परिणाम – इस कार्यक्रम के बाद ग्रामीण लोगों के कई सवाल किये गये और लोगों ने माना की हमें तो इस तरह के नियम कानून की जानकारी ही नहीं थी आषा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को भी जागरूकता हुई लोगों को वेनर /पोस्टर में दी गई जानकारी से समाज में जन जागरूकता फैलगी।और महिलाओं को योजना का लाभ मिल सकेगा।

Sturdy resurch Documentation and publication

5. Study on impact of PDS on food security

Izkfd;k— सर्वे प्रपत तैयार किये गये मुद्दों को चिह्नित किया गया साथियों को सर्वे पर जानकारी दी गई प्राथमिकता वाले ग्रामों का चयन किया गया

आभार महिला समिति छतरपुर द्वारा कार्यक्षेत्र के 10 पंचायतों में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 45 परिवारों का सर्वे किया गया जिसमें समुदाय के अ0ज0, अ0ज0ज0 और अ0पि0वर्ग0 परिवारों का सर्वे किया गया जिसमें जाने का प्रयास किया गया कि लोगों के पास राशन कार्ड है या नहीं वही कौन सा राशन कार्ड है। लोगों को नये खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के बारे में जानकारी है नहीं वही राशन की दुकान कहा है राशन मिलता है या नहीं कितना मिलता है। पैसा ज्यादा तो नहीं लगता कोटेदार का व्यवहार कैसा है। पर्चा कहा से मिलती है सब को मिलती है या नहीं पंचायत के लिए पैसा तो नहीं लगता राशन की गुणवत्ता ठीक है या नहीं जैसे सवाल लोगों से किये गये। जिसमें देखने में आया की आज भी लोगों को नये कानून की जानकारी नहीं है कुछ लोगों को पर्चा नहीं मिलती साथ ही अधिक लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है जिनके पास बी.पी. एल कार्ड था पर आज समान्य कर दिया गया है। कहीं पर लोगों को 5 कि.लो मीटर तक राशन लेने जाना पड़ रहा है जैसी समस्या से लोग परेशान हैं।

क्र0	ग्राम का नाम	कुल परिवार	कुल सर्वेक्षण परिवार				सर्वेक्षण जनसंख्या			
			अ.ज.	अ.ज.ज.	अ.पि.व.	योग	म0	पि0	बच्चे	योग
1	10	465	192	158	225	575	815	1015	495	2325

राशन वितरण की व्यवस्था पर नजर

राशन वितरण व्यवस्था की बात करे तो ग्रामों वितरण तो हो रहा है पर 70 प्रतिशत लोगो को ही राशन दिया जा रह है वही दो दि नहीं वितरण किया जाता है। राशन की बात करे तो नमक गेहूँ चावल तेल षक्कर वितरण किया जाता है वही अधिक लोगो को पर्ची नहीं मिल पाती जिस कारण लोग राशन लेने से बचित हो जाते है आज भी लोगो कालावजारी कर रहे है लोगो का मानना है।

परिणाम— 465 परिवारो का सर्वे किया गया जिसमें 2325 लोगो से सीधे सम्पर्क कर खाद्य सुरक्षा योजना के बारे मे जानकारी एक्ट की गई वही लोगो को नये कानून 2013 की जानकारी उपलब्ध कराई गई ।

PME

Office Meeting आभार महिला समिति छतरपुर अक्टुबर से दिसम्बर के बीच 3 मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमे पिछली बैठक 31/12/2015 को की गई जिसमें संस्था अध्यक्ष प्रभाति खरे व सचिव प्रज्ञा सिंह सहित स्टाफ के सदस्य शामिल हुये। मीटिंग मे प्रदीप जी ने सभी का स्वागत किया और पिछली कार्यवाही पड कर सुनाई जिसमे पर सभी ने सतोष प्रकट किया। श्रीमति प्रभाति जी द्वारा सभी की डेली डायरी एवं प्रगति रिपोर्ट को देखा और अभी तक किये गये कार्य के बारे मे चर्चा की तथा संतोष प्रकट किया ।

आग उन्होंने बताया कि कासा के यह 2 फेस 31/12/2015 को समाप्त हो रहा है और सभी ने अच्छा कार्य किया व संस्था के लोगो का पुरा सहयोग हमें मिला जिस कारण से हम यहकर सके।आगे उन्होंने बताया कि 15 जनवरी 2016 तक कासा की समस्त जानकारी रिपोर्ट आय व्यय पत्रक ओन मिश अन्य जानकारी भेजना है जिसके लिए आप लोग समय पर कार्य पुरा करे वही उन्होंने बताया की अभी कासा से कोई भी जवाज नहीं आया है कासा स्टाफ रहेगा या नहीं तो हम आप लोगो को बताना चाहते है कि जग तक कासा के कोई जवाज नहीं आता हम आप लोगो को मानदेय का भुक्तान नही कर सकेग साथ ही आगे अगर संस्था को 3 फेस मे लिया जाता है तो आप लोगो निरन्तर मानदेय का भुक्तान होगा साथ देर से भुक्तान हो सकता है तो आप लोगो समय पर पिछला कार्य समाप्त करे कासा को रिपोर्ट करे।

साथ ही उन्होंने कहा कि फिल्ड स्टाफ ध्यान रखे कि फिल्ड की प्रकिया निरन्तर चलती रहे लोगो को फोन से सम्पर्क करे साथ ही समय समय पर फिल्ड भी जाये तथा फेडरेशन का सहयोग करे व सहयोग ले ताकी ग्रामीण जन को कोई समस्या न हो।

प्रदीप जी ने आगामी रणनीति का लेकर चर्चा की लोगो का योजनाओ के साथ जोडने के अलावा अन्य राहत कार्य पर जोर दिया आगमी कार्य योजना बनाने को लेकर चर्चा की गई और जिम्मेदारी तय की गई। प्रभाति खरे जी ने बताया की कासा से वार वार यह शिकायत आ रही है कि महिलाओ की भागेदारी कम है और महिलाएं निकल कर नहीं आ रही ऐसे मे आवश्यकता है की आप लोग महिलाओ की सख्या को बढ़ाये साथ ही फेडरेशन मे महिलाओ को जोडा जाये तथा जो महिलाएं बाहर आ जा सकती है उनको चिह्नित कर सुची बनाई जाये और आगमी फेडरेशन की मितिग मे खास तोर पर महिलाओ को बुलाया जाये ताकी उनकी क्षमता बर्धन किया जस सके

संस्था द्वारा सुखा से राहत लोगो को मिल सके इसके लिए ठोस कदम उठझये गये जिसमें अनाज/बीज बैंक का पुरा राशन लोगो को मुक्त दिया जायेगा वही उनसे कोई भी बीज/अनाज वापीस नहीं लिया जायेगा वही कपडा/वर्तन/बेग/जैसे सामन भी संस्था मुक्त उपलब्ध करायेगी। जिससे सुखा से प्रभावित लोगो को कुछ राहत दी जा सके और आगे हर सम्भव मदद के लिए हम लोगो प्रयास किया जायेगा पर जोर दिया गया।

प्रदीप जी ने सभी का आभार व्यक्त किया और बमठक समाप्ति की घोषणा की।

Field Visit

संस्था पदाधिकारियो द्वारा कार्यो की निगरानी और परियोजना के उद्देश्य की प्राप्ति को लेकर सहयोगी साथियो द्वारा किये गये की स्थिति को देखने व उनमे और अधिक सुधार किया जा सके इसको लेकर संस्था प्रबधक व संस्था के अन्य

पदाधिकारीयो द्वारा कार्य क्षेत्र का भ्रमण किया गया जिसमे ग्राम रनगुवा,, अतरार, परापट्टी, कुर्रा, कदवा, वगा बरद्धाहा मे किये जा रहे कार्य मे महिला समूहो नरेगा समिति, बीज बैंक समिति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति को लेकर महिला समूहो सदस्या के साथ बैठक एवं चर्चा की गई। जिसमे उन्होने बताया ग्रामो मे रोजगार, आजीविका, बीज बैंक, शासकीय योजनओ से लोगो को जुडावा हुआ है लोगो मे जागरुकता आ रही है। महिला सशक्तिकरण ग्राम सरकार के साथ महिलाओ की सघन भागेदारी हो रही है ग्राम सभा व लेबर बजट मे संघन भुमिका महिलाएं निभा रही है। वही जेन्डर विषय पर भी लोगो की समझ विकसित हुई है और लोग आगे बढ़ कर कार्यक्रम मे भग ले रहे है। साथ ही जो महिलओ के लिए योजनाएं बताई उस महिलओ को बहुत लाभ हो रहा है तथा आगंनवाडी केन्द्र व राशन की दुकान से लाभ मिल रहा है जो एक बड़ा कार्य देखने मे आता है।

ग्राम भ्रमण के दोरान सभी ग्राम के लोगो के साथ लक्ष्य समुदाय के लोगो ने सुखा की इस साल मे लोगो के सामने रोजी रोटी की समस्या खडी हो गई है बच्चो के पास कपडे नही ग्राम मे पीने का पानी नही रोजगार मिल नही रहा ऐसे मे लोगो क्या करे उन्हाने मागं की जल्द ही लोगो की रोजी रोटी की व्यवस्था की जाये लोगो को रोजगार उपलब्ध कराये जाये शासन के साथ संस्था भी सीधे लोगो को अनाज बीज के साथ अन्य राहत दे ताकी बच्चो /कुपोषित/विकलांगो /निराश्रितो को राहत मिल सके और इस विपदा की घडी मे वह लोग अपना गुजारा कर सके।

संस्था द्वारा निर्णय लिया गया कि ग्रामो मे जितने भी बीज/अनाज बैंक है उनका अनात जरूरत मंद लोगो को उपलब्ध कराया जाये साथ ही उनसे बीज/अनाज वापीस नही लिया जायेगा और समय आने पर पुनः अनाज/बीज एकत्र कर कार्य किया जायेगा साथ ही संस्था को गुज के सहयोग से जो कपडे वर्तन किताब बेग मिले है उनको भी लक्ष्य समुदाय को दिया जाये फेडरेशन के माध्यम से लोगो की माग को जिला व ब्लाक स्तर पर उठाने के हर सम्भव प्रयास किये जाये पर लोंगो को कोई नुक्सान न हो और उनको भोजन पानी की पुर्ण व्यवस्था की जाये। इस तर से संस्था के राहत कार्य से लोगो को मदद की जा रही है और आगे भी प्रयास किये जा रहे है।



आभार टीम